

अध्याय – VI

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय

6.1 जैव विविधता के समन्वेषण, पहचान और निगरानी में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की गतिविधियां

पर्यावरण और वन मंत्रालय ने जैव विविधता के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन (सी.बी.डी.), जिसका भारत एक पक्ष है, के उद्देश्य के साथ इसे पंक्तिबद्ध करने के लिए भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (भा.प्रा.स.) के उद्देश्यों को नए सिरे से परिभाषित किया; और देश के जैव विविधता के समन्वेषण, सर्वेक्षण, सूचीबद्ध करने का कार्य और निगरानी के लिए 1993-2020 की अवधि को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक सामरिक योजना तैयार की। मार्च 2014 तक, भा.प्रा.स. सभी योजनाबद्ध गतिविधियों में सी.बी.डी. के तहत देश की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए अपने लक्ष्य से पीछे रहा।

चयनित राज्यों, पारिस्थितिकी प्रणालियों और संरक्षित क्षेत्रों में जैव विविधता का समन्वेषण, सर्वेक्षण और सूचीबद्ध करने का कार्य समय पर पूरा नहीं किया गया। सर्वेक्षण करने के लिए कोई मानक पद्धति और किए गए सर्वेक्षण कार्य के निरीक्षण और मूल्यांकन के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। जीव प्रजातियों की क्षेत्र और प्रजातित्वार निगरानी भी शुरू नहीं की गई तथा इस संबंध में कोई कार्य योजना तैयार नहीं की गई थी।

वर्गीकरणशास्त्री का कार्यरत बल संस्वीकृत बल से काफी कम था। वर्गीकरणशास्त्री की कमी से जीव वर्गीय अध्ययन प्रभावित हुआ जैसा कि संग्रहीत प्रजातियों की कुल संख्या का मात्र 34 प्रतिशत ही वर्गीकृत रूप से पहचान की गई। यद्यपि वर्गीकरण को एक अति विशिष्ट विषय के रूप में मान्यता दी गई थी फिर भी भा.प्रा.स. अपने नए भर्ती वैज्ञानिकों को प्रशिक्षण के लिए तैनात करने में विफल रहा।

संकटग्रस्त एवं स्थानिक प्रजातियों की समीक्षा अत्यंत सीमित थी। समीक्षा हेतु लक्षित 10 प्रजातियों में से सात प्रजातियों के लिए वस्तु स्थिति सर्वेक्षण की शुरुआत नहीं की गयी थी।

6.1.1 प्रस्तावना

जैव विविधता में पृथ्वी पर सभी जीवन समाहित हैं। भारत दुनिया के 12 बड़े विविध देशों में से एक है। दुनिया भर में लगभग 1.7 मिलियन जीवित प्रजातियों का वर्णन किया गया है जिनमें से भारत में 90,000 प्रजातियां वर्णित की गई हैं। प्रजातियों और पारिस्थितिकी प्रणालियों के नुकसान के बारे में वैश्विक चिंता का परिणाम जैव विविधता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (सी.बी.डी.)⁴⁹ रहा जो 29 दिसंबर 1993 से प्रभाव में आया। सी.बी.डी. के तीन प्रमुख उद्देश्य थे- जैविक विविधता का संरक्षण, इसके घटकों का सतत उपयोग और आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभ का उचित और न्यायसंगत बंटवारा। भारत ने संधि पर हस्ताक्षर किया है तथा सी.बी.डी. के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (भा.प्रा.स.) की स्थापना, भारत में प्राणी जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में ज्ञान-वृद्धि हेतु विविध जीव संसाधनों के सर्वेक्षण एवं समन्वेषण के लिए, प्राणिविज्ञान हेतु राष्ट्रीय संस्थान के रूप में 1916 में की गई थी। भा.प्रा.स. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है। भा.प्रा.स. भारत में वन्य जीवन और पशु विविधता से संबंधित सभी मामलों पर भारत सरकार को सलाह भी देता है। सी.बी.डी. के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का कार्यक्रम सलाहकार समिति (पी.ए.सी.) ने अगले 20 साल के लिए भा.प्रा.स. की सामरिक योजना तैयार (2001) की और तदनुसार 1987 के अपने पहले के उद्देश्यों को पुनः परिभाषित किया। संशोधित अधिदेश के तहत भा.प्रा.स के मुख्य उद्देश्य थे:

- भारत के विभिन्न राज्यों, चयनित पारिस्थिकी तंत्र तथा संरक्षित क्षेत्रों में जैव विविधता का समन्वेषण, सर्वेक्षण, सूचीबद्धकरण तथा निगरानी;
- संग्रह किए गए सभी जैव घटकों का वर्गीकरण-आत्मक अध्ययन;
- संकटग्रस्त तथा स्थानिकी प्रजातियों की स्थिति की सम-समय पर समीक्षा; और
- भारत तथा राज्यों के जीवों का रेड डाटा बुक (आर.डी.बी.) तैयार करना।

⁴⁹ रियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में जैव विविधता संधि पर 150 सरकार के नेताओं द्वारा हस्ताक्षर किया गया था तथा यह सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। संधि अभिज्ञान करता है कि पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों और उनके पारिस्थितिकी प्रणालियों के साथ संबंध होने के अलावा, जैव विविधता लोगों और खाद्य सुरक्षा, दवाई, ताजा हवा और पानी, आवास और एक स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण के लिए हमारी जरूरत के बारे में भी है।

भा.प्रा.स. का प्रमुख निदेशक होता है जिन्हें वैज्ञानिकों और प्रशासनिक कर्मियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। भा.प्रा.स. का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। इसके अलावा 16 क्षेत्रीय केंद्र भारत के विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित हैं, जिनके प्रमुख संबन्धित क्षेत्रीय निदेशक होते हैं जो भा.प्रा.स. के मुख्यालय को रिपोर्ट करते हैं।

बजट एवं व्यय

बजट आवंटन तथा भा.प्रा.स. द्वारा वर्ष 2005-06 से 2012-13 के दौरान किया गया वास्तविक व्यय तालिका 1 में विस्तार से दिया गया है।

तालिका 6 - भा.प्रा.स. का बजट आवंटन एवं वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	भा.प्रा.स.द्वारा मांगी गई राशि			एम.ओ.ई.एफ. द्वारा जारी की गई राशि			वास्तविक व्यय			कुल व्यय पर बचत का प्रतिशत
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2005-06	6.81	10.67	17.48	6.81	9.79	16.60	6.59	9.82	16.41	1.14
2006-07	8.39	11.61	20.00	8.39	10.95	19.34	7.82	10.56	18.38	4.96
2007-08	9.15	12.25	21.40	9.00	11.61	20.61	8.80	11.00	19.80	3.93
2008-09	12.07	14.30	26.37	12.07	16.52	28.59	11.74	15.82	27.56	3.60
2009-10	16.49	14.30	30.79	16.49	16.28	32.77	16.30	16.27	32.57	0.61
2010-11	26.67	14.47	41.14	24.46	14.52	38.98	23.81	14.60	38.41	1.46
2011-12	24.26	17.70	41.96	17.99	16.85	34.84	17.21	16.50	33.71	3.24
2012-13	34.71	17.53	52.24	17.41	18.11	35.52	17.27	17.87	35.14	0.38

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि वर्ष 2008-09 और 2009-10 के अलावा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एम.ओ.ई.एफ.) द्वारा जारी की गई राशि भा.प्रा.स. द्वारा मांगी गई राशि की तुलना में कम थी। तथापि भा.प्रा.स. द्वारा किया गया वास्तविक व्यय उसके द्वारा मांगी गई राशि से कम था और सभी वर्षों में 0.61 से लेकर 4.96 प्रतिशत तक की बचत थी।

भा.प्रा.स./एम.ओ.ई.एफ. ने सहमति जताई कि एम.ओ.ई.एफ. द्वारा जारी की गई राशि भा.प्रा.स. द्वारा मांगी गई राशि से कम थी और कहा कि यद्यपि सर्वेक्षण, अनुसंधान एवं वैज्ञानिक शोध-पत्र विभाग की बड़ी गतिविधियां एवं उत्पाद थी, बजट का बड़ा भाग वेतन एवं दैनिक कार्यालय खर्च पर आवंटित किया गया, जिसके कारण भा.प्रा.स. अपने प्रस्तावित लक्ष्य को हासिल करने में पीछे रहा।

6.1.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा ने पुनरीक्षित आदेश-पत्र पर पी.ए.सी. द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्य के अनुसार 2005-14 की अवधि के लिए समन्वेषण, पहचान, निगरानी तथा संकटग्रस्त एवं स्थानिक प्रजातियों की समीक्षा स्थिति की समीक्षा की। लेखापरीक्षा निष्कर्षों की चर्चा आगे के पैराग्राफ्स में की गई है।

6.1.2.1 भारत के विभिन्न राज्यों, चयनित पारिस्थितिक तंत्र और संरक्षित क्षेत्रों में जैव विविधता का समन्वेषण, सर्वेक्षण, सूचीबद्धकरण एवं निगरानी

देश के विभिन्न राज्यों, चयनित पारिस्थितिक तंत्र और संरक्षित क्षेत्रों में जैव विविधता का समन्वेषण, सर्वेक्षण, सूचीबद्धकरण और निगरानी को भा.प्रा.स. के प्राथमिक उद्देश्यों में से एक के रूप में चिन्हित किया गया था। यद्यपि सभी स्तनधारियों तथा पक्षियों और लगभग 95 प्रतिशत सरीसृपों, उभयचरों और मीठे पानी की मछलियों का पिछले 90 वर्षों के दौरान पूरी तरह से सर्वेक्षण और प्रलेखन किया गया था, फिर भी पाया गया कि जैव विविधता के स्तर का आकलन तथा मूल्यांकन एवं पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए शामिल प्रजातियों और उनके पारिस्थितिक प्रक्रियाओं की और अधिक जानकारी की आवश्यकता थी। इन चिंताओं को दूर करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने को ध्यान में रखकर पी.ए.सी. ने समन्वेषण, अध्ययन और जीव लेखा की तैयारी के लिए 1993-2020 की अवधि को कवर करते हुए उद्देश्यों की प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य में एक व्यापक और समयबद्ध कार्य योजना बनाई।

(i) सर्वेक्षण और जीव लेखा के शोध-पत्र के लक्ष्यों को न प्राप्त कर पाना

पी.ए.सी. द्वारा तैयार किए गए समन्वेषण योजना के अनुसार 13 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, 25 पारिस्थिकी तंत्रों एवं 46 संरक्षित क्षेत्रों के जैव संसाधनों का सर्वेक्षण 2012 तक पूरा किया जाना था। भा.प्रा.स. द्वारा किए गए सर्वेक्षणों एवं अक्टूबर 2012 तक

प्रकाशित जीव लेखा की स्थिति तालिका 7 में दी गयी है। प्रत्येक राज्य, पारिस्थिकी तंत्र, एवं संरक्षित की विस्तृत स्थिति **परिशिष्ट X** में दी गयी है:

तालिका 7: मार्च 2014 तक भा.प्रा.स. द्वारा किए गए सर्वेक्षण, अध्ययन एवं प्रकाशित जीव लेखा की स्थिति

भौगोलिक क्षेत्रों का विवरण	सर्वेक्षण का पूर्ण होना				वर्गीकरणात्मक अध्ययनों का पूर्ण होना					जीव लेखा का प्रकाशन	
	लक्ष्य	वास्तविक	नहीं लिया गया सर्वेक्षण	विवरण उपलब्ध नहीं	लक्ष्य	वास्तविक	नहीं लिया गया सर्वेक्षण	जारी अध्ययन	विवरण उपलब्ध नहीं	लक्ष्य	वास्तविक
राज्य/के.शा.प्र.	13	10	1	2	13	1	1	2	9	12	8
	<p>13 राज्यों के लक्ष्य में से 10 राज्यों में सर्वेक्षण किया गया। एक राज्य के मामले में सर्वेक्षण शुरू ही नहीं किया गया। दो राज्यों में सर्वेक्षण की अवधि का विवरण भा.प्रा.स. के पास उपलब्ध नहीं है।</p> <p>मार्च 2014 तक केवल एक ही राज्य में अध्ययन पूरा किया गया और दो राज्यों में चल रहा है। एक राज्य के मामले में अध्ययन प्रारम्भ ही नहीं किया गया। नौ राज्यों में किए गए अध्ययनों की अवधि का विवरण भा.प्रा.स. के पास उपलब्ध नहीं है।</p> <p>12 शोध-पत्रों के लक्ष्य में से 2005-12 के दौरान भा.प्रा.स. ने आठ राज्यों के संबंध में राज्य जीव शृंखला शोध-पत्र को दिखाया। हालांकि इन आठ शोध-पत्रों से संबन्धित दो मामलों में सर्वेक्षण एवं अध्ययन की अवधि उपलब्ध नहीं थी। उस अवधि, जिसके दौरान सर्वेक्षण एवं अध्ययन किए गए, के अभाव में लेखापरीक्षा इस संभावना को खारिज नहीं कर सका कि ये शोध-पत्र पहले की अवधि में किए गए सर्वेक्षणों/अध्ययनों के परिणाम थे।</p> <p>इसके अलावा लेखापरीक्षा ने पाया कि कार्य योजना के अनुसार, केरल राज्य में, सर्वेक्षण की निर्धारित अवधि 2000 से 2010 थी। भा.प्रा.स. ने 1999 से 2002 के बीच सर्वेक्षण किया, इस प्रकार 10 वर्षों की अवधि में कटौती कर तीन वर्ष कर दिया। तथापि, मार्च 2014 तक कोई जीव लेखा प्रकाशित नहीं की गई थी।</p>										

भौगोलिक क्षेत्रों का विवरण	सर्वेक्षण का पूर्ण होना				वर्गीकरणात्मक अध्ययनों का पूर्ण होना					जीव लेखा का प्रकाशन	
	लक्ष्य	वास्तविक	नहीं लिया गया सर्वेक्षण	विवरण उपलब्ध नहीं	लक्ष्य	वास्तविक	नहीं लिया गया सर्वेक्षण	जारी अध्ययन	विवरण उपलब्ध नहीं	लक्ष्य	वास्तविक
पारिस्थिकी तंत्र	25	10	2	13	25	0	2	5	18	25	4
	<p>25 पारिस्थिकी तंत्र के लक्ष्य में से 10 पारिस्थिकी तंत्र में ही सर्वेक्षण किया गया। इन 10 में से एक पारिस्थिकी तंत्र से संबन्धित सर्वेक्षण, सर्वेक्षण शुरू करने की अनुशंसित तिथि से पहले ही पूरा कर लिया गया। विवरण तालिका 3 में दिया गया है। दो पारिस्थिकी तंत्रों के मामले में सर्वेक्षण शुरू नहीं किया गया। 13 पारिस्थिकी तंत्रों में सर्वेक्षण की अवधि का विवरण भा.प्रा.स. के पास उपलब्ध नहीं था।</p> <p>मार्च 2014 तक किसी भी पारिस्थिकी तंत्र से संबन्धित अध्ययन पूर्ण नहीं किया गया था। पाँच पारिस्थिकी तंत्रों में अध्ययन प्रारम्भ किया गया किन्तु मार्च 2014 तक पूर्ण नहीं किया गया। दो पारिस्थिकी तंत्रों से संबन्धित अध्ययन शुरू नहीं किया गया। 18 पारिस्थिकी तंत्र में अध्ययन के पूर्ण होने का विवरण भा.प्रा.स. के पास उपलब्ध नहीं है।</p> <p>25 शोध-पत्रों के लक्ष्य में से चार शोध-पत्र प्रकाशित किए गए। दो शोध-पत्रों में सर्वेक्षण एवं अध्ययन की अवधि का विवरण उपलब्ध नहीं था। उस अवधि, जिसके दौरान सर्वेक्षण एवं अध्ययन किए गए, के अभाव में लेखापरीक्षा इस संभावना को खारिज नहीं कर सका कि ये शोध-पत्र पहले की अवधि में किए गए सर्वेक्षणों/अध्ययनों के परिणाम थे।</p> <p>16 पारिस्थिकी तंत्रों के संबंध में, यद्यपि एम.ओ.ई.एफ. ने बताया (मार्च 2014) कि भा.प्रा.स. ने जीव लेखा का प्रकाशन किया था, लेखापरीक्षा ने भा.प्रा.स. द्वारा 2014 में प्रकाशित 'विवरणिका 2014'⁵⁰ से पाया कि ये शोध-पत्र चयनित पारिस्थिकी तंत्रों से संबन्धित नहीं थे।</p>										

⁵⁰ भा.प्रा.स.के मूल्य अंकित शोध-पत्रों की सूची

भौगोलिक क्षेत्रों का विवरण	सर्वेक्षण का पूर्ण होना				वर्गीकरणात्मक अध्ययनों का पूर्ण होना					जीव लेखा का प्रकाशन	
	लक्ष्य	वास्तविक	नहीं लिया गया सर्वेक्षण	विवरण उपलब्ध नहीं	लक्ष्य	वास्तविक	नहीं लिया गया सर्वेक्षण	जारी अध्ययन	विवरण उपलब्ध नहीं	लक्ष्य	वास्तविक
संरक्षित क्षेत्र (पीए)	46	25	15	6	46	2	16	5	23	41	14
<p>यह पाया गया कि 46 संरक्षित क्षेत्रों में से 25 संरक्षित क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया गया। 15 संरक्षित क्षेत्रों से संबन्धित सर्वेक्षण शुरू नहीं किया गया था। किए गए 25 सर्वेक्षणों में से चार संरक्षित क्षेत्रों से संबन्धित सर्वेक्षण शुरू करने की अनुशंसित तिथि से पहले ही पूरे कर लिये गये थे। इन मामलों को तालिका 3 में दिया गया है। छह संरक्षित क्षेत्रों का सर्वेक्षण का विवरण भा.प्रा.स. के पास उपलब्ध नहीं था।</p> <p>46 संरक्षित क्षेत्रों, जो अध्ययन के लिए लक्षित थे, में से सिर्फ दो मामलों में अध्ययन पूरा किया गया। एक संरक्षित क्षेत्र के मामले में, यद्यपि सर्वेक्षण पूरा किया गया, विशेषज्ञता की कमी के कारण अध्ययन शुरू नहीं किया गया। पाँच मामलों में मार्च 2014 तक अध्ययन जारी था। 23 संरक्षित क्षेत्रों से संबन्धित विवरण भा.प्रा.स. के पास उपलब्ध नहीं थे।</p> <p>लक्षित 41 शोध-पत्रों में से 14 शोध-पत्र निकाले गए। तथापि, दो शोध-पत्रों में सर्वेक्षण एवं अध्ययन की अवधि उपलब्ध नहीं थी। उस अवधि, जिसके दौरान उल्लेखित शोध-पत्रों के लिए सर्वेक्षण एवं अध्ययन किए गए, के अभाव में लेखापरीक्षा इस संभावना को खारिज नहीं कर सकी कि ये शोध-पत्र पहले की अवधि में किए गए सर्वेक्षणों/अध्ययनों के परिणाम थे।</p> <p>चार अन्य संरक्षित क्षेत्रों के संबंध में, यद्यपि जीव खाते के शोध-पत्र का संकेत दिया गया था तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि सर्वेक्षण सर्वेक्षण शुरू करने की अनुशंसित तिथि से पहले ही पूरा कर लिया गया था। इस प्रकार, इससे साबित होता है कि उपर्युक्त शोध-पत्रों का ताल्लुक सर्वेक्षण के पहले की अवधि से है और पी.ए.सी. के योजनाबद्ध उद्देश्यों के अनुरूप नहीं थे।</p> <p>यह स्वीकार करते हुए (मार्च 2014) कि एक संरक्षित क्षेत्र में सर्वेक्षण का काम नहीं किया गया, एम.ओ.ई.एफ. ने कहा कि विशेषज्ञता के अभाव के कारण 13 संरक्षित क्षेत्रों से संबन्धित सर्वेक्षण शुरू नहीं किये जा सके और एक संरक्षित क्षेत्र का सर्वेक्षण हटा दिया गया। नौ संरक्षित क्षेत्रों के संबंध में यह बताया गया कि जीव लेखा जारी है।</p>											
<p>स्रोत: मार्च 2014 में भा.प्रा.स./एम.ओ.ई.एफ. द्वारा उपलब्ध कराये गए आंकड़े।</p>											

तालिका से यह देखा जा सकता है कि 67 प्रतिशत की उपलब्धि दर्शाते हुए 12 राज्यों, जिसके लिए सर्वेक्षण एवं अध्ययन पूरा करने के उपरांत जीव लेखा प्रकाशित किया जाना था, में से आठ राज्यों के लिए ही शोध-पत्र निकाले गए थे। तथापि, 25 पारिस्थिकी तंत्रों के संबंध में केवल चार पारिस्थिकी तंत्र के शोध-पत्र प्रकाशित किए गए, जिसकी उपलब्धि 16 प्रतिशत थी। संरक्षित क्षेत्रों के संबंध में उपलब्धि 34 फीसदी थी क्योंकि 41 संरक्षित क्षेत्रों के लक्ष्य के विरुद्ध 14 शोध-पत्र ही संरक्षित क्षेत्र पर प्रकाशित किए गए थे।

एम.ओ.ई.एफ. ने बताया (मार्च 2014) कि मुख्य रूप से अन्वेषण/सर्वेक्षणों के लिए विभिन्न संरक्षित क्षेत्रों में प्रवेश की अनुमति मिलने में हुई देरी और वर्गिकरण विशेषज्ञता की कमी हो जाने के कारण भा.प्रा.स. अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सका।

जैसा कि तालिका 7 में उल्लेख किया गया है, चार संरक्षित क्षेत्रों में सर्वेक्षण शुरू करने की अनुशंसित तिथि से पहले ही सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया। इन मामलों को तालिका 8 में दिया गया है।

तालिका 8 - पारिस्थितिकी तंत्र/आरक्षित क्षेत्र जहां भा.प्रा.स. ने पी.ए.सी. द्वारा अनुशंसित अवधि के पहले सर्वेक्षण पूरा कर लिया

पारिस्थितिकी तंत्र/आरक्षित क्षेत्र के नाम	अवधि जिसमें सर्वेक्षण किया गया	पी.ए.सी. द्वारा तय की गई सर्वेक्षण की अवधि
मीठा पानी पारिस्थितिकी तंत्र, भोज, मध्य प्रदेश	2005-2006	2006-2009
सिमलीपाल, ओडिशा	2001-2003	2006-2008
महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2005-2008	2008-2010
सरिस्का टाइगर रिजर्व, राजस्थान	2003-2006	2008-2010
प्व्वाइंट कलिमोरे वन्य जीवन अभयारण्य, तमिलनाडु	2003-2006	2008-2010

अधिदेश (1987) के पुनरीक्षण से पहले भा.प्रा.स. का ध्यान जीव संसाधनों के समन्वेषण और सर्वेक्षणों पर केन्द्रित था। सी.बी.डी. की घोषणा के बाद, भा.प्रा.स. के अधिकार-पत्र को भारत के विभिन्न राज्यों, चयनित पारिस्थिकी तंत्रों संरक्षित क्षेत्रों में जैव विविधता के समन्वेषण, सर्वेक्षण, सूचीबद्धकरण और निगरानी के रूप में पुनः परिभाषित किया गया। पुनरीक्षित अधिदेश में अतिरिक्त गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए, पी.ए.सी. ने चयनित क्षेत्रों के सर्वेक्षण/पुनर्सर्वेक्षण की योजना बनाई। इस संदर्भ में, उपरोक्त चार क्षेत्रों में किये गये सर्वेक्षण इस अवधि से पूर्व के थे।

इस प्रकार, यद्यपि पुनरीक्षित अधिकार-पत्र के अनुरूप सर्वेक्षण, सूचीबद्धकरण और निगरानी कार्य के लिए व्यापक समयबद्ध योजना थी, भा.प्रा.स. ने कार्य के लक्षित समय को नज़रअंदाज़ कर दिया। इसका असर जीव प्रजातियों के संरक्षण के क्षेत्रों में सी.बी.डी. के उद्देश्यों के कार्यान्वयन पर पड़ा।

(ii) सर्वेक्षण करने हेतु मानक कार्यप्रणाली का अभाव

एम.ओ.ई.एफ. ने भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (भा.प्रा.स.) की गतिविधियों के संस्थागत तंत्र को मजबूत बनाने हेतु सिफारिशें करने के लिए एक टास्क फोर्स गठित (जुलाई 2009) की। टास्क फोर्स के संदर्भ की शर्तों में से एक भा.प्रा.स. की वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमताओं को मजबूत करने के क्रम उसके मौजूदा अधिकार-पत्र, उद्देश्यों, संगठनात्मक संरचना, मानव शक्ति और बुनियादी ढांचे की समीक्षा करना था।

अपने प्रतिवेदन (2009-10) में, टास्क फोर्स ने आधुनिक वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति के आलोक में व्यापक आधार वाली विशेषज्ञ विमर्श के माध्यम से वर्तमान मात्रात्मक सर्वेक्षण तकनीकों को शामिल करते हुए विभिन्न टैक्सा⁵¹ और पारिस्थितिकी प्रणालियों से सम्बद्ध भा.प्रा.स. के सर्वेक्षण नियमावली के अद्यतन करने एवं मानकीकरण करने की सिफारिश की। लेखापरीक्षा में पाया कि भा.प्रा.स. द्वारा इस प्रकार की कोई नियमावली तैयार नहीं की गई।

2005-06 से 2011-12 की अवधि के दौरान भा.प्रा.स. द्वारा कुल 248 दौरे किए गए जिसमें से क्रमशः 97 पारिस्थिकी तंत्रों और 151 आरक्षित क्षेत्रों से संबन्धित थे। लेखापरीक्षा ने अधिकतर मामलों में पाया कि किए गए सर्वेक्षण में पी.ए.सी. की कार्य योजना में सर्वेक्षण हेतु निर्धारित क्षेत्रों से इतर के क्षेत्रों को शामिल किया गया।

⁵¹ प्रजातियों के समूहों का वैज्ञानिक वर्गीकरण

248 दौरों में से चयनित राज्यों, पारिस्थिकी तंत्रों तथा संरक्षित क्षेत्रों से संबन्धित 20 दौरों पर सर्वेक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत किए गए। लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- दौरा प्रतिवेदन का कोई मानक प्रारूप नहीं था।
- वैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तुत किए गए दौरा प्रतिवेदनों को तैयार करने हेतु कोई मानक तंत्र नहीं था।
- यद्यपि, दौरे का प्रतिवेदन निदेशक, भा.प्रा.स. के समक्ष प्रस्तुत किया गया, परन्तु सक्षम प्राधिकारी का औपचारिक अनुमोदन दर्ज नहीं किया गया।
- सर्वेक्षण में अपनाये गए बुनियादी गुणात्मक और मात्रात्मक तरीकों जैसे कि और नक्शे, क्षेत्र में जैव विविधता मूल्यांकन, सर्वेक्षित प्रजातियों का महत्व/जोखिम, पूर्व के सर्वेक्षण के साथ सर्वेक्षण का नमूना चयन के लिए प्रयोग किए गए तकनीकों, क्षेत्र पहचान, सर्वेक्षण और संरक्षण आदि का उपयोग करते हुए 20 सर्वेक्षण प्रतिवेदनों में से 18 सर्वेक्षण प्रतिवेदनों को शामिल नहीं किया गया।

भा.प्रा.स. में अनुमोदित मानदंड और सर्वेक्षण नियमावली के अभाव में, यह तुलना करना कि क्या पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा गठित टास्क फोर्स द्वारा परिकल्पित वर्तमान मात्रात्मक सर्वेक्षण की तकनीक पर विचार करते हुए सर्वेक्षण किया गया है, संभव नहीं था। इसलिए, सर्वेक्षण के लिए मानकीकृत नियमावली या अनुमोदित पद्धति के अभाव में, मात्रात्मक और गुणात्मक अर्थ में सर्वेक्षण कार्य के निरीक्षण या मूल्यांकन के लिए न तो कोई गुंजाइश और न ही मापदंड छोड़ते हुए, वास्तविक सर्वेक्षण कार्य संबन्धित वैज्ञानिकों के विवेक पर छोड़ दिया गया।

एम.ओ.ई.एफ. ने लेखापरीक्षा की टिप्पणी को स्वीकार (मार्च 2014) किया और बताया कि उसने कई सुधारात्मक कार्रवाई किये जैसे कि दौरा प्रतिवेदनों के प्रारूप तथा जमा करने एवं जांच करने की प्रक्रिया का मानकीकरण, पशु समूहों के सर्वेक्षण हेतु मानक तरीकों एवं सर्वेक्षण नियमावली में टास्क फोर्स की सिफारिशों को समाहित करना आदि, जिसे भा.प्रा.स. द्वारा 2013-14 के बाद क्रियान्वित किया जाएगा।

(iii) जैव विविधता की निगरानी

निगरानी को विचाराधीन स्थान के जीव संयोजन और व्यवहार में वर्षों में हुए परिवर्तन, यदि कोई हो, की प्रवृत्ति की जांच के रूप में माना जाता है। सी.बी.डी. के

अनुच्छेद 7 के अनुसार जैव विविधता की निगरानी का उद्देश्य, नमूने और अन्य तकनीकों के माध्यम से, पहचान किए गए जैव विविधता के घटकों पर तत्काल संरक्षण के उन उपायों की आवश्यकता और उन गतिविधियों पर विशेष ध्यान देते हुए, जो संरक्षण पर महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव डालती है, की प्रक्रियाओं और श्रेणियों की पहचान करने के साथ-साथ सतत उपयोग के लिए सबसे बड़ी क्षमता प्रदान करते हैं, की निगरानी करना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि भा.प्रा.स. द्वारा आरंभ से ही सर्वेक्षण एवं समन्वेषण गतिविधियों के लिए योजना के अनुसार प्रजातिवार निगरानी नहीं की गई। इसके अलावा, भा.प्रा.स. द्वारा क्षेत्रवार निगरानी गतिविधियां नहीं की गई।

भा.प्रा.स. ने स्वीकार किया (अक्टूबर 2012) कि देश के किसी विशेष क्षेत्र की प्रजातिवार पुनर्सर्वेक्षण का खाका खींचना बाकी था। उसने बताया कि अधिकतर पारिस्थिकी तंत्रों एवं जैविक रूप से समृद्ध क्षेत्रों के जीव संयोजन का समन्वेषण और प्रलेखन सिर्फ अस्सी के दशक से शुरू किया गया था और सभी वन्य जीवों पर नजर रखना संभव नहीं था क्योंकि निगरानी के लिए बार-बार एक ही क्षेत्र के दौरे की आवश्यकता पड़ती है। भा.प्रा.स. ने यह भी कहा कि पूरे देश को कवर करने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की जा सकती। एम.ओ.ई.एफ. ने आगे बताया (मार्च 2014) कि जैव विविधता की निगरानी या स्थानिक में परिवर्तन एवं प्रजातियों के लौकिक वितरण का प्रलेखन करना एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है जिसके लिए पर्याप्त मानव शक्ति तथा वन/वन्यजीव प्राधिकारों के समर्थन एवं संस्थागत सहयोग की आवश्यकता है। भा.प्रा.स. संरक्षित क्षेत्र प्रबन्धकों से अनुमति प्राप्त नहीं होने के कारण प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार कई कार्यक्रमों का आयोजन नहीं कर सका।

भा.प्रा.स./एम.ओ.ई.एफ. के उत्तर से संकेत मिलता है कि भा.प्रा.स. ने देश में जैव विविधता की निगरानी हेतु कोई कार्य योजना तैयार नहीं की। इस तथ्य के आलोक में देखने की आवश्यकता है कि भा.प्रा.स. एम.ओ.ई.एफ. का एकमात्र अधीनस्थ एवं प्राणि सर्वेक्षण के क्षेत्र में सी.बी.डी. की प्रतिबद्धताओं के साथ अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय संगठन है और इसीलिए इस गतिविधि को शुरू करने तथा योजना बनाने की आवश्यकता थी। इसके अलावा, सर्वेक्षण का लक्ष्य भा.प्रा.स. के उपलब्ध विशेषज्ञता को ध्यान में रखते हुए सिफारिश की गई थी। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के उत्तर को भी इस तथ्य की रोशनी में देखा जाना चाहिए कि कई क्षेत्रों के लिए भा.प्रा.स. ने सर्वेक्षण आरंभ ही नहीं किया।

2005-12 के दौरान नियमित योजना बजट के तहत अपनी गतिविधियों के अलावा भा.प्रा.स. ने कुछ चयनित प्रजातियों की निगरानी पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित तीन परियोजनाओं को शुरू किया। लेखापरीक्षा ने पाया कि इन तीनों परियोजनाओं में से कोई भी योजना पूरी नहीं की गई, जिसकी चर्चा नीचे की गई है:

- भा.प्रा.स. ने अंडमान और निकोबार अनुसंधान केंद्र, पोर्ट ब्लेयर (ए.एन.आर.सी.) द्वारा कार्यान्वित कराये जाने हेतु पांच साल की अवधि के लिए ₹1.27 करोड़ की लागत से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (फरवरी 2002) द्वारा मंजूर की गई 'भारत में प्रवाल भित्तियों के स्वास्थ्य का सर्वेक्षण एवं निगरानी' नामक एक परियोजना हाथ में लिया। परियोजना के उद्देश्य भारत के भारत की प्रवाल भित्तियों का सर्वेक्षण एवं निगरानी करना, प्रवाल की विविधता और वितरण की जांच करना, प्रवाल भिती पारिस्थितिकी तंत्र पर अध्ययन करना तथा भारत के प्रवाल पर आंकड़े तैयार करना/संग्रह प्रकाशित करना था। यद्यपि, भा.प्रा.स. ने 2001-02 के दौरान ₹52.65 लाख की लागत से उपकरण खरीदा तथापि ए.एन.आर.सी. को भा.प्रा.स. द्वारा राशि जारी नहीं किए जाने के कारण कार्य आगे जारी नहीं रह सका। परियोजना सात साल के अंतराल के बाद अप्रैल 2009 में फिर से शुरू की गई और ₹70.99 लाख के कुल व्यय के बाद मई 2011 में पूरी की गई। लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि विभिन्न प्रवाल द्वीपों में सर्वेक्षण शुरू किया गया था तथापि आंकड़े/संग्रह पुस्तिका प्रकाशित नहीं की गई।

ए.एन.आर.सी. ने कहा (अक्टूबर 2012) कि प्रकाशन हेतु संग्रह पुस्तिका भा.प्रा.स. मुख्यालय में प्रस्तुत (अगस्त 2010) की गई थी जिसके बाद फरवरी 2011 में दिया गया। एम.ओ.ई.एफ. ने आगे बताया (मार्च 2014) कि 2010 एवं 2012 के बीच विभिन्न जीव समूहों पर छह शोध-पत्र प्रकाशित किए गए। लेखापरीक्षा ने पाया कि छह शोध-पत्रों में से सिर्फ दो प्रवालों से संबन्धित थे। भारत के प्रवालों से संबन्धित अध्ययनों एवं संग्रह पुस्तिका के प्रकाशन की स्थिति के बारे में उत्तर में कुछ नहीं कहा गया था।

- भा.प्रा.स. ने (मार्च 2008) ए.एन.आर.सी. द्वारा कार्यान्वित कराये जाने हेतु तीन साल की अवधि के लिए ₹15.05 लाख की लागत से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा मंजूर की गई 'रानी झाँसी मरीन नेशनल पार्क के प्रवाल की विविधता एवं वितरण तथा उससे सम्बद्ध जीव' नामक एक परियोजना हाथ में लिया। इस परियोजना का उद्देश्य प्रवाल भित्तियों का अध्ययन एवं सतत निगरानी करना, क्षेत्र पथप्रदर्शक तैयार करना और भौगोलिक सूचना प्रणाली

का उपयोग करते हुए प्रवाल भित्तियों का मानचित्रण करना था। परियोजना अप्रैल 2009 में शुरू की गई और ₹7.51 लाख व्यय करने के बाद पूर्ण करने के लिए निर्धारित वर्ष के एक साल पहले ही बंद कर दी गई। परियोजना के पूरा होने का प्रतिवेदन अक्टूबर 2012 तक तैयार नहीं किया गया था।

यद्यपि, एम.ओ.ई.एफ. ने बताया (मार्च 2014) कि परियोजना के पूरा होने का प्रतिवेदन भा.प्रा.स. द्वारा 2012 के दौरान प्रस्तुत किया गया था किन्तु भा.प्रा.स. के अभिलेखों में ऐसा नहीं पाया गया। उत्तर में क्षेत्र गाइड्स की तैयारी और प्रवाल भित्तियों के मानचित्रण की स्थिति पर चुप्पी साध ली गयी।

- दो वर्षों की अवधि हेतु ₹21.92 लाख की लागत से 'लिटिल अंडमान द्वीप के आसपास पारिस्थितिकी परिवर्तनशीलता का जी.आई.एस. आधारित मैपिंग और विश्लेषण' शीर्षक से एम.ओ.ई.एफ. द्वारा मंजूरी (मार्च 2008) दी गई एक अन्य परियोजना के संबंध में भा.प्रा.स. ने बताया (अक्टूबर 2012) कि कुछ तकनीकी समस्या के कारण परियोजना शुरू नहीं की गई। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि इस परियोजना के अंतर्गत ₹14.96 लाख (मार्च 2011) का व्यय किया गया था।

एम.ओ.ई.एफ. ने स्वीकार किया कि (मार्च 2014) इस कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है।

इस प्रकार, भा.प्रा.स. अपने पुनरीक्षित अधिकार-पत्र के अनुसार जैव विविधता की निगरानी हेतु कार्य योजना तैयार करने में न सिर्फ विफल रहा बल्कि इस संबंध में शुरू की गई विशेष परियोजनाओं को भी यह पूरा नहीं कर सका।

6.1.2.2 वर्गीकरण अध्ययन

भा.प्रा.स. के प्राथमिक उद्देश्यों में से एक संग्रहीत किए गए सभी जीव घटकों का वर्गीकरण⁵² अध्ययन भी था। यह कार्य महत्वपूर्ण था क्योंकि जीवों और उनकी विशेषताओं तथा गुणों पर आंकड़ों के विभिन्न समूह के बीच कड़ी होने के कारण, उनके नाम ही मुख्य सूत्रधार होते हैं जिससे प्रजातियों के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। इसके अलावा, व्यक्तिगत जीवों, जो पारिस्थितिक प्रक्रियाओं के संकेत के लिए

⁵² वर्गीकी(Taxonomy), नामकरण का वर्णन और जीवों को वर्गीकृत करने का विज्ञान है।

महत्वपूर्ण हैं, की उपस्थिति की पहचान किए बिना पारिस्थितिकी तंत्रों के स्वास्थ्य की निगरानी नहीं की जा सकती।

लेखापरीक्षा ने पाया कि समन्वेषण/सर्वेक्षण के दौरान संग्रहीत किए गए काफी मात्रा में नमूने पहचान किए के लिए प्रतीक्षित थे, जिसकी चर्चा नीचे की गई है।

वर्गीकरणकर्ताओं की क्षमता निर्माण में कमी के कारण पशु नमूनों की वर्गिकी व्याख्या में कमी

वर्ष 2005-06 में, भा.प्रा.स. के पास नमूनों के 1,11,750 प्रारंभिक शेष थे जिनमें से 18,033 कशेरुकी एवं 93,717 अकशेरुकी थे। 2005-11⁵³, के दौरान, भा.प्रा.स. ने 8951 कशेरुकी एवं 41,872 अकशेरुकीय का स्टॉक एकत्र किया। हालांकि, भा.प्रा.स. 54,904 नमूनों के वर्गीकरण पहचान में सक्षम था जो कि कुल एकत्रित नमूनों का 34 फीसदी था।

भा.प्रा.स. ने नमूनों की पहचान की कम दर के संबंध में कहा (अगस्त 2010) की वर्गीकरणकर्ता विभिन्न समूहों के पशु प्रजातियों की उपलब्धता / बहुतायत के संबंध में कभी प्रचुर मात्रा में नहीं थे।

लेखा परीक्षा ने पाया कि भा.प्रा.स. में काम कर रहे वर्गीकरणकर्ताओं की संख्या भा.प्रा.स. में वर्गीकरणकर्ता की स्वीकृत संख्या से काफी कम थी जिसे विस्तृत रूप से तालिका 9 में दर्शाया गया है।

तालिका 9: स्वीकृत एवं कार्यरत वर्गीकरणकर्ता

वर्ष	वर्गीकरणकर्ताओं की स्वीकृत संख्या	उपलब्ध वर्गीकरणकर्ताओं की संख्या
31-03-2006	146	84
31-03-2007	136	83
31-03-2008	136	78
31-03-2009	136	80
31-03-2010	136	69
31-03-2011	136	75
31.03.2012	136	83

⁵³ वर्ष 2011-12 के लिए सूचना उपलब्ध नहीं थी।

वर्गीकरणकर्ता के लिए मूलभूत वांछनीय योग्यता प्राणी विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री है। हालांकि एक आकांक्षी वर्गीकरणकर्ता को वर्षों तक एक विशेषज्ञ के अंदर प्रशिक्षण लेना पड़ता है, क्षेत्र सर्वेक्षण में अनुभव प्राप्त करना पड़ता है, संग्रहालय नमूनों का अध्ययन, तथा शोध पत्रों को वैज्ञानिक पत्रिका में प्रकाशित करवाना पड़ता है। अतएव वर्गीकरण अध्ययन का संचालन करने के लिए विशेष मानवशक्ति के निर्माण के साथ समय और प्रशिक्षण के मामले में काफी निवेश की आवश्यकता पड़ती है।

विभिन्न समूहों के पशु प्रजातियों की उपलब्धता / बहुतायत के संबंध में वर्गीकरणकर्ता की कमी को देखते हुए, लेखा परीक्षा ने भा.प्रा.स. के वर्गीकरणकर्ता के स्टॉक निर्माण के संबंध में की गई कार्रवाई की जांच में पाया कि:

- 2001 में भा.प्रा.स. के कामकाज की समीक्षा के दौरान, वर्गीकरण अध्ययन पर भारी बकाया से निपटने के लिए एक रणनीति प्रस्तावित किया गया था, जिसमें मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों से वैज्ञानिकों का पुनर्नियोजन, विश्वविद्यालयों से विशेषज्ञों की पहचान, भा.प्रा.स. के सेवानिवृत्त वैज्ञानिकों की पुनर्नियोजन एवं विदेशों में भा.प्रा.स. वैज्ञानिकों की प्रशिक्षण अंतर्निहित थी। लेखा परीक्षा ने पाया कि भा.प्रा.स. ने उपर्युक्त उपायों में से किसी पर कार्रवाई नहीं की।

भा.प्रा.स. ने (अक्टूबर 2012) स्वीकार किया कि वर्गीकरण अध्ययन के लिए विश्वविद्यालयों/ वैज्ञानिक संस्थानों से विशेषज्ञों के पुनर्नियोजन कि कार्रवाई की शुरुआत अब तक नहीं हो पाई थी। भा.प्रा.स. ने इस बात की भी पुष्टि की, कि चयनित वैज्ञानिकों में से किसी को भी विदेश में प्रशिक्षित नहीं किया गया था।

यह देखा गया कि पिछले पांच वर्ष के दौरान भा.प्रा.स. ने 27 वर्गीकरणकर्ता की भर्ती की थी। 27 वर्गीकरणकर्ता में से, 25 की नियुक्ति वैज्ञानिकों के लिए प्रवेश स्तर यानी वैज्ञानिक सी के रूप में की गई। भर्ती वर्गीकरणकर्ता की संख्या अभी भी काम को पूरा करने के लिए अपर्याप्त थी। इस तथ्य को देखते हुए यह और भी गंभीर था कि भा.प्रा.स. द्वारा किसी भी वर्गीकरणकर्ता को प्रशिक्षण के लिए नहीं भेजा गया था।

- भा.प्रा.स. के पास उपलब्ध वर्गीकरणकर्ता की संख्या के साथ 2005-11 के अवधि के दौरान नमूनों पहचान की संख्या के विश्लेषण में यह उजागर हुआ कि वर्गीकरणकर्ता ने एक वर्ष के दौरान औसतन, 117 नमूनों का निष्पादन किया। इनके विवरण तालिका 10 में दिए गए हैं।

तालिका 10: 2005-06 से 2010-11 तक प्रति वर्ष वर्गीकरणकर्ता द्वारा निष्पादित किए गए नमूनों की संख्या

वर्ष	पहचान नमूनों की संख्या	उपलब्ध वर्गीकरणकर्ता की संख्या	नमूनों की संख्या	वर्ष के दौरान निष्पादित
2005-06	10,347	84	10,347	123
2006-07	10,089	83	10,089	122
2007-08	8,983	78	8,983	115
2008-09	8,482	80	8,482	106
2009-10	7,818	69	7,818	113
2010-11	9,185	75	9,185	122
वर्गीकरण वैज्ञानिक द्वारा प्रति वर्ष पहचान नमूनों की औसत संख्या			117	
उपलब्ध वर्गीकरणकर्ता द्वारा इस कार्य दर से 1,07,669 बकाया नमूनों के वर्गीकरण कार्य को पूर्ण करने के लिए आवश्यक वर्षों की संख्या			12	

1,07,669 संग्रहीत बकाया नमूनों के साथ मार्च 2011 में शेष बचे पहचान नमूनों की संख्या से, यहाँ पर स्पष्ट रूप से उपलब्ध वर्गीकरणकर्ता की संख्या एवं भा.प्रा.स.द्वारा वर्गीकरण अध्ययन की पूर्णता के लिए उपलब्ध संग्रहीत सामग्री के मध्य असंतुलन की स्थिति थी।

एम.ओ.ई.एफ. ने (मार्च 2014) स्वीकार किया की भा.प्रा.स. में वर्गीकरणकर्ता की कमी ने वर्गीकरण कार्य की प्रगति को बाधित किया था। एम.ओ.ई.एफ. ने कहा की भा.प्रा.स. के वैज्ञानिक अपने वैज्ञानिक कार्य के देखरेख के अतिरिक्त विभिन्न स्तरों पर प्रशासनिक कार्य भी कर रहे थे। एम.ओ.ई.एफ. ने बाद में यह भी कहा की मंत्रालय का संचालन अक्टूबर 2012 में आयोजित सी.बी.डी. में दलों के सम्मेलन द्वारा अपनाई गई फैसले से होता है एवं भारत की रूख और प्रतिबद्धता अपनाई गई निर्णय की सीमा के दायरे में था। 'ग्लोबल वर्गीकरण पहल के लिए क्षमता निर्माण की रणनीति' पर उक्त दस्तावेजों की समीक्षा ने यह उजागर किया की उल्लिखित विभिन्न वर्ष-वार कार्यवाहियों में से, एक कार्रवाई को एम.ओ.ई.एफ. द्वारा 2013 के अंत तक पूरा किया जाना था, एवं इसे वर्गीकरण आवश्यकता एवं क्षमता की संवीक्षा राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं उपक्षेत्रीय स्तर पर संभाषण को लागू करने के लिए एवं जैव विविधता 2011-2020 के लिए रणनीतिक योजना की तैयारी एवं प्राथमिकताएं तय करना था।

एम.ओ.ई.एफ. हालांकि, एम.ओ.ई.एफ. / भा.प्रा.स. द्वारा की गई कार्रवाई की स्थिति के संबंध में चुप रहे।

इस प्रकार, हालांकि भा.प्रा.स. अपर्याप्त प्रशिक्षित वर्गीकरणकर्ता द्वारा जीव संबंधी नमूनों की पहचान एवं विवरण के कार्य को संपादित करने के दबाव से अवगत थे परंतु इनके द्वारा मुद्दे के समाधान के लिए की गई कार्यवाही की व्याख्या नहीं की गई थी।

अनुशंसा 1:

भा.प्रा.स. को सी.बी.डी. में दलों के सम्मेलन में परिकल्पित राष्ट्रीय, उप-क्षेत्रीय व क्षेत्रीय स्तर पर अपनी क्षमता व टैक्सोनोमिक आवश्यकताओं का पुनरीक्षण करना चाहिए तथा बाधाओं को पार करने के लिए पर्याप्त क्षमताओं का निर्माण करने एवं प्रजातियों के टैक्सोनोमिक पहचान में शेष कार्य को पूरा करने का प्रयत्न करना चाहिए।

6.1.2.3 संकटग्रस्त एवं स्थानिक प्रजातियों की स्थिति की समीक्षा

भा.प्रा.स. का प्राथमिक उद्देश्य प्रजातियों पर आवधिक स्थिति सर्वेक्षणों का था जिसकी लुप्तप्राय के रूप में पहचान की गई थी। यदि यह विलुप्त, लुप्तप्राय, संकटग्रस्त या स्थिर है, के मामले में स्थिति सर्वेक्षण एक विशेष प्राणी की स्थिति का पता लगाने के क्रम में किया जाता है। स्थिति सर्वेक्षण के पूरा होने के बाद, परिणामों को रेड डाटा पुस्तकों (आर.डी.बी.) में प्रकाशित किया गया है। आर.डी.बी. प्रजातियों का विवरण देता है जो विलुप्त होने के खतरे में माना जाता है। वे खतरे के स्तर का एक संकेत के साथ संबंध प्रजातियों की आबादी के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं (जैसे संकटग्रस्त, गंभीर रूप से लुप्तप्राय इत्यादि)। प्रजातियों के विवरण का वर्णन के अलावा, सुझाव दिए गए संरक्षण के उपायों पर एक खंड खाते में भी शामिल करता है, जो जानवरों के अस्तित्व की संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए उठाए गए आवश्यक कार्रवाई⁵⁴ पर सिफारिशें भी शामिल है। प्रस्तावों में मुख्य रूप से पशुओं के

⁵⁴ (1) कानूनी कार्रवाई: (क) नए कानून बनाना या मौजूदा कानून के तहत शक्तियों का बेहतर उपयोग करना, (ख) एक विशेष अंतरराष्ट्रीय परंपरा को बनाना, (ग) संरक्षण क्षेत्रों के संबंध में कानून प्रवर्तन में सुधार करना; (2) नए संरक्षण क्षेत्रों की घोषणा करना; (3) एक सतत वैज्ञानिक कार्य योजना स्थापित करना; (4) शैक्षिक/सार्वजनिक जागरूकता कार्यक्रम शुरू करना; (5) मौजूदा संरक्षण के प्रयासों को प्रोत्साहित करना; (6) एक प्रजाति को स्थानान्तरण/बंदी नस्ल स्टॉक को छोड़ना या भोजन की आपूर्ति बढ़ाना या वास प्रबंधन द्वारा रहने का स्थान बढ़ाना के द्वारा पुनः स्थापित करना और (7) जंगली/संकर पशुओं को नियंत्रित करना

संरक्षण से संबंधित है और इनके वास एवं इनके अस्तित्व के लिए खतरों का उन्मूलन शामिल है।

भा.प्रा.स. की आर.डी.बी. पिछले 1994 के दौरान अद्यतन किया गया था। ऑडिट ने कहा कि उक्त स्थिति सर्वेक्षण करने के लिए अवधि निर्दिष्ट नहीं किया गया था। पिछले दो वर्षों के दौरान संकटग्रस्त प्रजातियों की स्थिति तालिका 11 में दर्शायी गई है।

तालिका 11: संकटग्रस्त प्रजातियों की संख्या का विवरण

श्रेणी	31.03.11 तक संकटग्रस्त रूप में पहचान की गई प्रजातियों की संख्या	31.03.12 तक संकटग्रस्त रूप में पहचान की गई प्रजातियों की संख्या	वृद्धि (प्रतिशत में)
स्तनधारी	96	123	28
पक्षी	57	136	139
सरीसृप	25	35	40
उभयचर	66	74	12
मछलियाँ	40	65	63
कुल			
कशेरुकी	284	433	52
अकशेरुकी	111	उपलब्ध नहीं	

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि भारत में अकेले पिछले दो वर्षों में संकटग्रस्त प्रजातियों (कशेरुकी) की संख्या में 284 से 433 की वृद्धि हुई है। इसके विपरीत, लेखापरीक्षा ने पाया कि आर.डी.बी. द्वारा 153 प्रजातियों के खातों (35 प्रतिशत) को ही किया गया है। इस प्रकार, लुप्तप्राय प्रजातियों की स्थिति सर्वेक्षण के संचालन में भा.प्रा.स. की गतिविधियां निरर्थक थीं।

2001 में अपने उद्देश्यों को पुनर्परिभाषित करने के बाद, भा.प्रा.स. ने 10 प्रजातियों की स्थिति सर्वेक्षण 2012 तक पूरा हो जाने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया था। स्थिति तालिका संख्या 12 में दिया गया है।

तालिका 12: लक्षित प्रजातियों के सर्वेक्षण की स्थिति

क्र. सं.	लुसप्राय प्रजातियों के नाम	सर्वेक्षण की अवधि के लिए निर्धारित तिथि	अध्ययन पूरा होने के निर्धारित तिथि	शोध-पत्र के लिए निर्धारित तिथि	स्थिति	लेखापरीक्षा अवलोकन
1.	बिर्गस लाट्रो (केकडे)	1999-03	2005	2007	उपलब्ध नहीं	1999-05 तक के दौरान सर्वेक्षण का काम लिया गया था। 2005 में शोध-पत्र निकाला गया था।
2.	हिम तेंदुए	2003-06	2008	2010	लुसप्राय	सर्वेक्षण प्रारंभ नहीं किया गया।
3.	काली गर्दन वाले क्रेन	2003-06	2008	2010	संकटपूर्ण	सर्वेक्षण प्रारंभ नहीं किया गया।
4.	कोरल रीफ (निकोबार द्वीप)	2003-06	2008	2010	उपलब्ध नहीं	2006-09 तक के दौरान सर्वेक्षण का काम लिया गया था। शोध-पत्र निकाला नहीं गया था।
5.	केकडा	2003-06	2008	2010	उपलब्ध नहीं	सर्वेक्षण प्रारंभ नहीं किया गया।
6.	भारतीय जंगली गधा	2004-06	2008	2010	लुसप्राय	सर्वेक्षण प्रारंभ नहीं किया गया।
7.	दलदली हिरण	2006-10	2012	2014	अतिसंवेदनशील	2006-07 तक के दौरान सर्वेक्षण का काम लिया गया था। शोध-पत्र निकाला गया था।
8.	हंगुल कश्मीरी हिरण	2010-12	2014	2016	लुसप्राय	सर्वेक्षण प्रारंभ नहीं किया गया।
9.	हलोक गिबबन	2004-06	2008	2010	लुसप्राय	सर्वेक्षण प्रारंभ नहीं किया गया।
10.	निकोबार मेगापोड, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	2010-12	2014	2016	अतिसंवेदनशील	सर्वेक्षण प्रारंभ नहीं किया गया।

उपरोक्त तालिका में यह देखा जा सकता है कि:

- 10 में से सात प्रजातियों पर स्थिति सर्वेक्षण का काम शुरू नहीं किया गया था।
- बाकी बची हुई तीन प्रजातियाँ, जिन पर सर्वेक्षण शुरू किया गया था, मार्च 2014 तक केवल एक प्रजाति पर ही शोध-पत्र निकाला गया था।

इस प्रकार, भा.प्रा.स. लुप्तप्राय प्रजातियों की स्थिति सर्वेक्षण के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रहा। लेखापरीक्षा ने कहा कि भा.प्रा.स. ने इसके बजाय 2001-2012 के दौरान आठ⁵⁵ अन्य प्रजातियों की स्थिति का सर्वेक्षण किया गया और इसी अवधि के दौरान स्थिति प्रतिवेदन निकाले गए। हालांकि सर्वेक्षित प्रजातियों में से किसी भी प्रजाति के खातों को आर.डी.बी. में शामिल नहीं किया गया था।

भा.प्रा.स. (जुलाई 2011) ने कहा कि किसी जीव का स्थिति सर्वेक्षण करना तभी जरूरी होता है जब इसकी जरूरत पैदा होती है और यह एक नियमित काम नहीं था जो हर साल सभी प्राणी समूहों के लिए किया जा सके, क्योंकि भा.प्रा.स. का प्राथमिक काम सर्वेक्षण और सर्वेक्षित क्षेत्रों के प्राणी संसाधन का दस्तावेज़ बनाना था। एम.ओ.ई.एफ. (मार्च 2014) ने और बताया कि विशेषज्ञता और संसाधनों की कमी के कारण कार्यक्रमों को शुरू नहीं किया जा सका। आर.डी.बी. को अद्यतन करने के संबंध में, एम.ओ.ई.एफ. ने कहा कि भा.प्रा.स. प्रजातियों के वैश्विक खतरे के आंकलन के अंतरराष्ट्रीय सहयोगात्मक प्रयास में योगदान दे रहा था और भारत की प्रजातियों के खतरे के आंकलन के लिए आंकड़े उपलब्ध करा रहा था।

भा.प्रा.स के उत्तर को इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि संकटग्रस्त और स्थानिक प्रजातियों की स्थिति की आवधिक समीक्षा भा.प्रा.स का शासनादेश था। एम.ओ.ई.एफ. का उत्तर भा.प्रा.स के आर.डी.बी. का अद्यतन करने की स्थिति पर चुप था, यह तथ्य रह जाता है कि आर.डी.बी. को अंतिम बार 1994 में, अर्थात् 20 साल पहले अद्यतन किया गया था। इसके साथ देश में संकटग्रस्त प्रजाति की बढ़ती संख्या से इन प्रजातियों की समीक्षा और अधिक महत्वपूर्ण बन गई है।

⁵⁵ (i) पश्चिमी ट्रेगोपान (ii) रौटोन के मुक्त पुच्छ चमगादड़ (iii) हिमालयी मरमोट (iv) खाद्य घोंसला स्विफ्टलेट (v) हिमालयी सलामेंडर (vi) कृष्णमृग (vii) ट्रोक्स निलोटिकस और (viii) कियांग

अनुशंसा 2:

भा.प्रा.स. को तय लक्ष्य के अनुसार संकटग्रस्त और स्थानिकी प्रजातियों कि आवधिक स्थिति सर्वेक्षण करना चाहिए। रेड डाटा पुस्तक में संकटग्रस्त प्रजातियों की स्थिति तुरंत अद्यतन करनी चाहिए ताकि संरक्षण प्रयासों को और अधिक प्रभावशाली बनाया जा सके।

6.1.3 निष्कर्ष

जैव विविधता अधिनियम, 2002 के एलान के साथ, एम.ओ.ई.एफ. ने भा.प्रा.स. के उद्देश्यों को नए सिरे से परिभाषित किया तथा 1993-2020 की अवधि हेतु अन्वेषण, सर्वेक्षण, सूचीबद्ध करने और जैव विविधता की निगरानी और उनके प्रलेखन के लिए एक व्यापक रणनीति-संबंधी योजना तैयार की। लेखापरीक्षा ने पाया कि संशोधित शासनादेश को पूरा करने में भा.प्रा.स. की गतिविधियाँ अपर्याप्त रूप से निष्पादित की गई थी। भा.प्रा.स. ने जीव संसाधनों की पहचान और उनको सूचीबद्ध करने के लिए परिकल्पना के अनुसार पर्याप्त कार्रवाई नहीं की गई और चयनित राज्यों, पारिस्थितिक तंत्र और संरक्षित क्षेत्रों में सर्वेक्षण और जीव खातों के प्रकाशन के लिए निर्धारित लक्ष्यों में पिछड़ गया था। आठ राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में व्यापक सर्वेक्षण के संचालन के लिए कार्यक्रम सलाहकार समिति की सिफारिशों का पालन नहीं किया गया था। सर्वेक्षण करने के लिए या सर्वेक्षण रिपोर्ट के आकलन के लिए कोई मानक पद्धति नहीं थी। इस तरह, सर्वेक्षण का कार्य व्यावहारिक रूप से किसी भी निरीक्षण के बिना, संबंधित वैज्ञानिकों के विवेक पर छोड़ दिया गया था। लेखापरीक्षा ने आगे कहा कि भा.प्रा.स. ने जैव विविधता की निगरानी के क्षेत्र में संशोधित आदेश के अनुसार काम शुरू नहीं किया था। प्रजाति अनुसार और क्षेत्र अनुसार जैव विविधता की निगरानी नहीं की गई थी और इस बारे में कोई कार्य योजना भी नहीं बनाई गई थी।

भा.प्रा.स. वर्गीकरणात्मक अध्ययन करने हेतु प्रशिक्षित मानव शक्ति की क्षमता का निर्माण करने के संदर्भ में असमर्थ था। मार्च, 2012 तक, टेक्सोनोमिस्टों की कुल स्वीकृत संख्या का केवल 61 प्रतिशत उपलब्ध था। परिणामस्वरूप, भा.प्रा.स. पूरी तरह से वर्गीकरणात्मक अध्ययन करने के अपने शासनादेश का निर्वहन करने में असमर्थ हुआ। इस अवधि के दौरान एकत्र की गई प्रजातियों की कुल संख्या में से केवल 34 फीसदी की वर्गीकरणात्मक रूप से पहचान की गई थी।

वर्गीकरण अध्ययन में विशेषज्ञता प्राप्त करने वाले वैज्ञानिकों के विकास के लिए प्रशिक्षण और अनुभव को महत्वपूर्ण कारक के रूप में माना गया था। भा.प्रा.स. में कार्यरत 83 टेक्सोनोमिस्टों में से 27 की नियुक्ति गत पाँच सालों में हुई थी। तथापि, इनमें से किसी भी वैज्ञानिक को प्रशिक्षण के लिए नहीं भेजा गया था।

यह भी देखा गया कि संकटग्रस्त और स्थानिक प्रजातियों की स्थिति की समीक्षा पर बहुत सीमित काम किया गया था। 10 लक्षित प्रजातियों में से सात पर स्थिति सर्वेक्षण का काम शुरू नहीं किया गया था।

इस प्रकार, भा.प्रा.स. जैव विविधता कन्वेंशन के तहत देश की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के अपने लक्ष्यों को पूरा करने में पिछड़ गया था। काम की गति धीमी और इसमें शामिल बकाया काम की मात्रा के अनुरूप नहीं थी।

6.2 राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान स्थापित करने में असाधारण विलम्ब

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नोएडा प्राधिकरण द्वारा इसे आवंटित भूमि पर राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान का विकास करने के लिए उसके साथ समझौता ज्ञापन करने में विफल हो गया। परिणामस्वरूप राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान के विकास पर ₹11.54 करोड़ खर्च करने के बाद, 17 वर्षों से अधिक के बाद भी भूमि के स्वामित्व की स्थिति असुलझी रही और राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान का उद्देश्य भी मार्च 2014 तक अपूर्ण रहा।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एम.ओ.ई.एफ.) ने सातवीं पंचवर्षीय अवधि⁵⁶ के दौरान दिल्ली क्षेत्र में राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान (एन.बी.जी.) स्थापित करने का प्रस्ताव आरम्भ किया। परियोजना का उद्देश्य देश की महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था और संकटापन्न तथा संकटमय पौधों के संरक्षण तथा प्रचारण के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों का वनस्पति उद्यान स्थापित करना था। तथापि परियोजना भूमि की अनुपलब्धता के कारण कार्यान्वित नहीं की गई थी। बाद में नोएडा⁵⁷ प्राधिकरण, उत्तरप्रदेश सरकार ने इस समझौते के अधीन लगभग 200 एकड़ जमीन एम.ओ.ई.एफ. को देने की पेशकश की, कि यदि अधिकार की तारीख से पांच वर्षों की अवधि के अन्दर एन.बी.जी. का विकास नहीं होता है तो भूमि एम.ओ.ई.एफ. द्वारा किए गए निर्माण अनुरक्षण कार्यों की किसी प्रतिपूर्ति बिना उस पर कुछ भी निर्माण के साथ नोएडा प्राधिकरण को स्वतः वापस हुई मानी जाएगी (मार्च 1997)।

⁵⁶ 1985 से 1990

⁵⁷ न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्रस्ताव व्यय वित्त समिति (ई.एफ.सी.) को प्रस्तुत किया गया था जिसने ₹ 38.88 करोड़ के परिव्यय पर परियोजना अनुमोदित की (जुलाई 2000)। साथ ही एम.ओ.ई.एफ. ने एक स्वायत्त संस्थान के रूप में एन.बी.जी. की स्थापना का अनुमोदन प्राप्त करने का प्रयास किया। यद्यपि परियोजना योजना आयोग द्वारा अनुमोदित कर दी गई थी परन्तु यह वित्त मंत्रालय (एम.ओ.एफ.) ने, इस आधार पर कि इसके कारण वित्तीय अभिधानों जैसे पदों का सृजन, आवर्ति लागतें आदि वाले स्वायत्त निकायों का प्रचुरोदभवन होगा, इसे अस्वीकार कर दिया (जुलाई 2001)। परिणामस्वरूप एम.ओ.ई.एफ. ने भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (बी.एस.आई.), एम.ओ.ई.एफ. के एक अधीनस्थ कार्यालय, द्वारा निर्मित परियोजना के रूप में एन.बी.जी. स्थापित करने के लिए ई.एफ.सी. को एक संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया (जनवरी 2002)। ई.एफ.सी. ने नौवीं तथा दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि⁵⁸ के दौरान कार्यान्वित किए जाने के लिए ₹37.78 करोड़ के कुल परिव्यय पर संशोधित प्रस्ताव अनुमोदित किया (जनवरी 2002)।

इसी बीच नोएडा प्राधिकरण ने एम.ओ.ई.एफ. से उत्तर के अभाव में भूमि का आवंटन रद्द कर दिया (जून 2001)। बाद में एक बैठक (अगस्त 2001) के दौरान नोएडा प्राधिकरण ने परियोजना में भागीदारी में अपनी रुचि का संकेत दिया ताकि वर्तमान अथवा नए स्टाफ, जैसी आपसी सहमति हुई, से परियोजना पर देखभाल/आवर्ती खर्च जारी रखा जाएगा। यह भी सहमति हुई कि एक समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) तैयार किया जाएगा तथा दोनों पार्टियों द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा।



राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान का अविकसित स्थल

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2002 से 2006 तक के दौरान वनस्पति उद्यान की स्थापना में कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं हुई थी और चारदीवारी, सड़कें तथा सीवर को छोड़कर (₹ 55.56 लाख के खर्च पर) कोई योजनागत कार्य⁵⁹ पर नहीं किए गए थे। बाद में नोएडा प्राधिकरण ने, आवंटन से नौ वर्षों के बाद भी आधारभूत संरचना के अपर्याप्त विकास के कारण, आवंटन फिर रद्द कर

⁵⁸ नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि: 1997 से 2002 और दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि: 2002 से 2007

⁵⁹ कार्यालय एवं प्रयोगशाला भवन, रक्षक गृह, जलीय समूह और बरसाती जल निकास, जल आपूर्ति वितरण, ओवरहैड टैंक, पम्प हाउस आदि का निर्माण

दिया (जुलाई 2006)। एम.ओ.इ.एफ. ने एन.बी.जी. से संबंधित कार्यकलापों के कार्यान्वयन के निरीक्षण के लिए एम.ओ.इ.एफ. तथा नोएडा प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों से बनी बहुअनुशासनात्मक विशेषज्ञ समिति (एम.डी.ई.सी.) का गठन किया (सितम्बर 2006)। लेखापरीक्षा में देखा गया कि सितम्बर 2006 में इसकी स्थापना से एम.डी.ई.सी. की एक भी बैठक नहीं हुई थी।

एम.ओ.इ.एफ. द्वारा व्यक्त तात्कालिकता के दृष्टिगत, नोएडा प्राधिकरण ने वनस्पति उद्यान के विकास के लिए भौतिक कार्य करने के लिए मंत्रालय को अनुमति दे दी (सितम्बर 2007)। ₹37.78 करोड़ के कुल परित्यय में से पूंजीगत तथा आवर्ती खर्च के प्रति 2013 तक परियोजना पर ₹ 11.54 करोड़ खर्च किया गया था।



लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि ड्रॉफ्ट एम.ओ.यू. केवल सितम्बर 2010 में एम.ओ.इ.एफ. द्वारा अंतिम किया गया था। ड्रॉफ्ट एम.ओ.यू. में एम.ओ.इ.एफ. तथा नोएडा प्राधिकरण द्वारा संयुक्त रूप से प्रबन्धित स्वायत्त संस्थान के रूप में वनस्पति उद्यान के विकास का प्रस्ताव किया गया। तथापि, एम.ओ.यू. सितम्बर 2013 तक अंतिम नहीं किया गया था और भूमि का अधिकार अस्पष्ट रहा। इसके अलावा स्वायत्त संस्थान के रूप में एन.बी.जी. के कार्यचालन का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय द्वारा पहले ही अस्वीकृत हो चुका था।

इस प्रकार भूमि के स्वामित्व का मामला सुलझाने अथवा नोएडा प्राधिकरण द्वारा इच्छा की अभिव्यक्ति के 12 वर्ष बाद भी उसके साथ एम.ओ.यू. अंतिम करने में विफलता के परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति हो गई जहां एम.ओ.इ.एफ. को आवंटित भूमि का अधिकार अस्पष्ट रहा।

एम.ओ.इ.एफ. ने स्वीकार किया (सितम्बर 2013) कि एम.ओ.यू. का अंतिमीकरण लम्बित होने पर भूस्वामित्व के विषय पर स्थिति स्पष्ट नहीं थी। एम.ओ.इ.एफ. ने आगे बताया (अप्रैल 2014) कि ड्रॉफ्ट एम.ओ.यू. 2011 में नोएडा को भेजा गया था परन्तु कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई थी। एम.ओ.इ.एफ. ने आगे बताया कि चूंकि भूमि आवंटन नोएडा द्वारा रद्द किया गया था इसलिए एम.डी.ई.सी. द्वारा कोई प्रमुख कार्रवाई नहीं की जा सकी।

उत्तर इस संदर्भ में देखा जाय कि एम.डी.ई.सी., जो दोनों पार्टियों के वरिष्ठ अधिकारियों से बनी थी, की नियमित बैठकें, भूमि के विवादित अधिकार और एम.ओ.यू. के

अंतिमीकरण के समाधान को सरल बना सकती थीं। उसके अलावा तथ्य यह शेष रहा कि ₹ 11.54 करोड़ खर्च करने के बाद भूमि का अधिकार अनिश्चित रहा और देश में पारितंत्र के प्रतिनिधि संकटग्रस्त पेड़ों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान के विकास का उद्देश्य मार्च 2014 तक अप्राप्त रहा।

6.3 कार्यालय स्थान के किराए पर अपव्यय

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय लगभग 29 महीनों के लिए किराए के परिसर में 17 में से 13 कक्षाओं का उपयोग करने में विफल हो गया, जिससे किराए तथा ब्याज के बकाया देयों के प्रति ₹ 4.43 करोड़ की देयता उठाने के अतिरिक्त, उनके नवीकरण तथा किराए पर किया गया ₹ 91.12 लाख का व्यय व्यापक रूप से अपव्यय हो गया।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एम.ओ.ई.एफ.) का कार्यालय पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली में स्थित है। एम.ओ.ई.एफ. ने अधिकारियों तथा स्टाफ के लिए अपर्याप्त स्थान, मंत्रालय में पदों की संख्या में वृद्धि तथा अग्नि दुर्घटना के कारण हुई व्यापक हानि के आधार पर अतिरिक्त कार्यालय स्थान किराए पर लेने का प्रस्ताव किया (अप्रैल 2009)। सम्पदा निदेशालय से “अनुपलब्धता प्रमाणपत्र” प्राप्त होने के बाद (जून 2009) एम.ओ.ई.एफ. ने ₹ 100 प्रति वर्ग फीट जमा 5 प्रतिशत सफाई प्रभारों के मासिक किराए पर, नई दिल्ली नगर परिषद (एन.डी.एम.सी.) से पालिका भवन, नई दिल्ली में 6 तथा 7 मंजिल पर 9,755 वर्ग फीट कार्यालय स्थान किराए पर लिया (जुलाई 2009)। आवंटन की शर्तों तथा निबंधनों के अनुसार एम.ओ.ई.एफ. को ₹ 98.52 लाख की राशि जो दो माह की अग्रिम लाइसेंस फीस, दो माह के सफाई प्रभार और प्रतिभूति जमा के रूप में आठ माह की अग्रिम लाइसेंस फीस के बराबर था, का भुगतान करना था। तदनुसार एम.ओ.ई.एफ. ने ₹ 98.52 लाख व्यय करने की संस्वीकृति जारी की (जुलाई 2009) और एन.डी.एम.सी. को ₹ 50 लाख जारी किए।

एम.ओ.ई.एफ. ने पालिका भवन में आवंटित कार्यालय स्थान का नवीकरण करने के लिए भी एन.डी.एम.सी. से अनुरोध किया (अगस्त 2009)। एन.डी.एम.सी. द्वारा प्रस्तुत (नवम्बर 2009) अनुमान के आधार पर, एम.ओ.ई.एफ. ने ₹ 1.31 करोड़ की लागत पर नवीकरण का प्रशासनिक अनुमोदन जारी किया (फरवरी 2010) और एन.डी.एम.सी. को स्थान सौंप दिया। जून 2010 तथा अक्टूबर 2010 के बीच, एम.ओ.ई.एफ. ने नवीकरण कार्य के प्रति, साथ ही फर्नीचर तथा फिक्चर के प्रतिष्ठापन हेतु, एन.डी.एम.सी. को ₹ 1.37 करोड़ की राशि जारी की।

एन.डी.एम.सी. द्वारा नवीकरण पूरा किया गया और एम.ओ.ई.एफ. ने 17 कक्षों से बनें नवीकृत कार्यालय स्थान को अपने अधिकार में ले लिया (अप्रैल 2011)। तथापि 17 कक्षों में से केवल चार कक्ष एम.ओ.ई.एफ. के दो अनुभागों द्वारा अधिकार में लिए गए थे और शेष खाली रखे गए थे। उसके बाद एम.ओ.ई.एफ. ने नए परिसरों में अपना कार्यालय पुनः स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय वनरोपण तथा पर्यावरण विकास बोर्ड (एन.ए.ई.बी.)⁶⁰ को निर्देश दिया परन्तु यह किया नहीं गया था।



पालिका भवन में अप्रयुक्त कक्ष

लेखापरीक्षा में पाया गया कि एम.ओ.ई.एफ. ने नए परिसरों में अपने प्रभागों/अनुभागों को हटाने के लिए या तो स्थान किराए पर लेने का प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय अथवा पालिका भवन में परिसरों को अंतिम करते समय, कोई विशेष योजना तैयार नहीं की थी। यद्यपि ये परिसर केवल अपने वर्तमान कार्यालय की भीड़ हटाने के प्रयोजन हेतु किराए पर लिए थे परन्तु एम.ओ.ई.एफ. अपने किसी अन्य प्रभागों/अनुभागों को 13 खाली कक्ष आवंटित करने में असमर्थ था।



अप्रयुक्त सज्जित सभा कक्ष

बाद में एम.ओ.ई.एफ. को सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स में सम्पदा निदेशालय द्वारा कार्यालय स्थान आवंटित किया गया था (नवम्बर 2011) और पालिका भवन का कार्यालय स्थान खाली करने का निर्णय लिया (दिसम्बर 2012)। एम.ओ.ई.एफ. ने पालिका भवन के अप्रयुक्त फर्नीचर तथा फिक्चर को छोड़ने का भी प्रस्ताव किया और लाइसेंस फीस तथा अन्य प्रभारों के प्रति एम.ओ.ई.एफ. द्वारा देय के ₹1.37 करोड़ की लागत का समायोजन करने का एन.डी.एम.सी. से अनुरोध किया।

तथापि एन.डी.एम.सी. ने एम.ओ.ई.एफ. का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया और ₹4.43 करोड़ (लाइसेंस फीस के बकाया के रूप में ₹3.83 करोड़ तथा ब्याज के प्रति ₹60 लाख सहित) के बकाया देयों का भुगतान करने का एम.ओ.ई.एफ. से अनुरोध किया (जुलाई 2013)।

⁶⁰ एम.ओ.ई.एफ. के अधीन एक यूनिट

फर्नीचर तथा फिक्चर को रखे रहने के लिए एन.डी.एम.सी. की अस्वीकृति को देखते हुए एम.ओ.ई.एफ. ने परिसरों को औपचारिक रूप से खाली कर दिया (अक्टूबर 2013) और पालिका भवन से फर्नीचर, वर्क स्टेशन आदि को सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स में इसको आवंटित अतिरिक्त कार्यालय स्थान में (नवम्बर 2012 के बाद) और जोर बाग, नई दिल्ली में एम.ओ.ई.एफ. के नए भवन में (सितम्बर 2013) ले गए।

इस प्रकार, पालिका भवन में किराए के कार्यालय स्थान का एम.ओ.ई.एफ. द्वारा पूर्ण उपयोग नहीं किया गया था और कुल मिलाकर 29 महीनों (अप्रैल 2011 से सितम्बर 2013 तक) के लिए खाली रहा। यद्यपि एम.ओ.ई.एफ. द्वारा हटाई गई मदों तथा उनके मूल्य के सही ब्यौरे नहीं प्रस्तुत किए गए थे परन्तु एम.ओ.ई.एफ. द्वारा किए गए निर्धारण (दिसम्बर 2009) के आधार पर लेखापरीक्षा में पाया गया कि पालिका भवन में निर्मित कुल कार्य का ₹ 41.42 लाख की मात्रा तक किया गया कार्य वसूली योग्य नहीं होगा। इसलिए किराए के स्थान का इष्टतम रूप से उपयोग करने में विफलता से नवीकरण तथा किराए पर किया गया ₹ 91.12⁶¹ लाख का व्यय अपव्यय हो गया क्योंकि 17 में से केवल चार कक्षों का उपभोग किया गया था। एम.ओ.ई.एफ. बकाया देयों के रूप में एन.डी.एम.सी. को ₹4.43 करोड़ की राशि का भुगतान करने का भी उत्तरदायी था।

एम.ओ.ई.एफ. ने बताया (अप्रैल 2014) कि महिला स्टाफ की सुरक्षा चिंताओं के कारण एन.ए.ई.बी. को पालिका भवन में स्थानांतरित नहीं किया जा सका। एम.ओ.ई.एफ. ने आगे बताया कि एन.ए.ई.बी. को स्थानांतरित न करने के परिणामस्वरूप एन.डी.एम.सी. परिसरों से स्थानांतरण की लागत के प्रति बचत हुई। उत्तर को इस संदर्भ में देखे जाने की आवश्यकता है कि अनेक सरकारी कार्यालय जैसे वित्त मंत्रालय के अधीन सेंट्रल प्लान स्कीम मानीट्रिंग सिस्टम, इरकान इंटरनेशनल लिमिटेड, रेल मंत्रालय के अधीन एक कम्पनी और एन.डी.एम.सी. का उप पंजीयक जन्म तथा मृत्यु कार्यालय पालिका भवन में पहले ही कार्य कर रहे थे। उत्तर लेखापरीक्षा आपत्ति की भी पुष्टि करता है कि एम.ओ.ई.एफ. की पालिका भवन में परिसरों के अधिभोग की कोई निश्चित योजना नहीं थी और अपने कार्यालयों को स्थानांतरित करने के प्रति उसकी सभी कार्रवाईयां आकस्मिक थीं।

इस प्रकार किराए पर कार्यालय स्थान के आवंटन में अग्रिम योजना की कमी तथा इष्टतम रूप से उसका उपयोग करने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹91.12 लाख का व्यय अपव्ययी हो गया और बकाया देयों के कारण एन.डी.एम.सी. को ₹4.43 करोड़ की अतिरिक्त देयता भी हुई।

⁶¹ ₹ 41.42 लाख जमा किराए के प्रति प्रदत्त ₹ 50 लाख

6.4 नगर ठोस अपशिष्टों के प्रबंधन हेतु आदर्श सुविधाएं स्थापित न करना

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी.पी.सी.बी.) द्वारा कार्यान्वित योजना के अन्तर्गत चयनित 10 राज्यों में ठोस अपशिष्टों के निपटान हेतु आदर्श सुविधाएं परियोजनाओं के आरम्भ के 10 वर्षों के बाद और ₹24.80 करोड़ का व्यय करने के बाद भी स्थापित नहीं की गई थीं। सी.पी.सी.बी. तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा परियोजनाओं की अपर्याप्त निगरानी की गई जिसके कारण अपूर्ण कार्य, परियोजनाओं की समय पूर्व समाप्ति, निष्फल व्यय, सृजित सुविधाओं की निष्क्रियता और परियोजनाओं के अंतर्गत निष्क्रिय रहे अव्ययित शेष हुए। परिणामस्वरूप पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के नगर ठोस अपशिष्ट नियमों के प्रावधानों का पालन करने के लिए राज्यों तथा शहरी स्थानीय निकायों की सहायता करने का मूल उद्देश्य अप्राप्त रहा।

6.4.1 प्रस्तावना

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एम.ओ.ई.एफ.) ने नगर ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं प्रहस्तन) नियम, 2000 (एम.एस.डब्ल्यू. नियम) अधिसूचित किए (सितम्बर 2000) जो हर एक शहर तथा सभी नगर प्राधिकरणों को लागू किए गए थे। एम.एस.डब्ल्यू. नियमों के अनुसार स्थानीय निकायों को निम्नलिखित कार्य करने अपेक्षित है:

- अपशिष्ट के संग्रहण की प्रक्रिया में सुधार और विशिष्ट मानदण्ड पूरे करने के लिए अपशिष्ट भण्डारण सुविधाएं स्थापित करना,
- अनुबद्ध मार्गनिर्देशों के अनुसार अपशिष्ट का परिवहन,
- अपशिष्ट संसाधन सुविधाओं (जैसे कम्पोस्ट संयंत्र, ऊर्जा प्राप्ति आदि) की स्थापना, और
- वर्तमान अपशिष्ट खत्ता स्थलों का सुधार और अपशिष्ट निपटान हेतु नए स्थलों की पहचान।

एम.ओ.ई.एफ. के अधीन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी.पी.सी.बी.)⁶², एक सांविधिक संगठन, एम.एस.डब्ल्यू. नियमों के अनुसार अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए स्थानीय

⁶² केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी.पी.सी.बी.) जल (प्रदूषण की रोकथाम तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अधीन सितम्बर 1974 में गठित किया गया था और वायु (प्रदूषण की रोकथाम तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अधीन शक्तियां तथा कर्तव्य सौंपे गए थे। यह क्षेत्रीय गठन के रूप में कार्य करता है और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत एम.ओ.ई.एफ. को तकनीकी सेवाएं भी प्रदान करता है। सी.पी.सी.बी. के मुख्य कार्य (i) जल प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण तथा उपशमन द्वारा राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों में नदियों तथा कुओं की स्वच्छता बढ़ाना और

निकायों से सहयोग हेतु विभिन्न राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एस.पी.सी.बी.) को निवेश प्रदान कर रहा था। तथापि यह महसूस किया गया कि अधिकांश स्थानीय निकाय तैयार नहीं थे और नियमों के प्रावधानों का पालन करने के लिए सहायता की आवश्यकता थी। इसलिए एक योजना तैयार करने का प्रस्ताव किया गया जिसके अंतर्गत प्रत्येक राज्य में किसी भी शहर/कस्बा में आदर्श सुविधा स्थापित की जा सकेगी। ऐसी आदर्श सुविधा अन्य स्थानीय निकायों के लिए प्रदर्शन संयंत्र के रूप में काम करेगी जो इसे आगे दोहरा सकेंगे। सी.पी.सी.बी. ने परिकल्पित किया कि इन आदर्श सुविधाओं की स्थापना का प्रस्ताव एम.एस.डब्ल्यू नियमों के कार्यान्वयन को सुगम बनाएगी।

6.4.1.1 परियोजना के उद्देश्य तथा क्षेत्र

मार्च 2003 से फरवरी 2007 के दौरान, सी.पी.सी.बी. ने 10 राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों⁶³ में एम.एस.डब्ल्यू नियमों के कार्यान्वयन के लिए नगर ठोस अपशिष्टों के प्रबंधन के निदर्शन हेतु आदर्श सुविधाओं की स्थापना के लिए परियोजनाएं संस्वीकृत की। परियोजना के उद्देश्य निम्न थे:

- एम.एस.डब्ल्यू नियम, 2000 के कार्यान्वयन हेतु प्रदर्शन आधार पर आदर्श सुविधाओं की स्थापना करना,
- कार्यान्वयन से लेकर इसके चालू होने तक सम्पूर्ण योजना का दस्तावेज तैयार करना और वास्तविक निष्पादन का निर्धारण करना,
- राज्यों में अन्य स्थानीय निकायों को और राष्ट्रीय स्तर पर सूचना प्रसारित करना, और
- आंतरिक संसाधनों के प्रबंधन सहित स्थानीय निकायों की क्षमताएं बनाना, जो बेहतर सेवा प्रदान के साथ सुधार के लिए प्रत्याशित थीं।

परियोजनाएं निधियों की पहली किस्त जारी करने की तारीख से 36 माह के अंदर पूर्ण की जानी थीं। प्रत्येक परियोजना का क्षेत्र निम्नवत था:

(ii) वायु की गुणवत्ता में सुधार करना और देश में वायु प्रदूषण को रोकना, नियंत्रित करना अथवा उपशमन करना है।

⁶³ आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चण्डीगढ़ यू.टी., हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैण्ड, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल

चरण-I:

- एम.एस.डब्ल्यू. के संग्रहण, पृथक्करण, भंडारण तथा परिवहन से संबंधित कार्यकलापों और अंतर शहर कार्यकलाप आरम्भ करना और समाप्त करना,
- एम.एस.डब्ल्यू. प्रबंधन हेतु प्रभावी निगरानी दस्ता स्थापित करना,

चरण-II:

- अपशिष्ट संसाधन संयंत्र की डिजाइन, ड्राइंग तथा विनिर्देशन तैयार करने और इसके प्रचालन तथा अनुरक्षण सहित अपशिष्ट संसाधन संयंत्र, अर्थात् कम्पोस्टिंग/वर्मी कम्पोस्टिंग अथवा किसी अन्य उचित प्रौद्योगिकी, उचित क्षमता की स्थापना करना,
- संसाधन संयंत्र के प्रचालन में आने के समय तक संसाधन संयंत्र से निकले अस्वीकृतियों और गाद के निपटान के लिए अथवा मिश्रित अपशिष्टों के निपटान के लिए भराव के विकास के लिए विस्तृत इंजीनियरी स्थल जांच, डिजाइन, ड्राइंग, विनिर्देशन प्राप्त करने सहित भराव स्थलों का विकास, और
- सार्वजनिक ज्ञान के माध्यम से एम.एस.डब्ल्यू. प्रबंधन में जनता की भागीदारी।

6.4.1.2 प्रत्येक एजेंसी की भूमिका

इन परियोजनाओं के निर्माण के लिए सी.पी.सी.बी. ने संबंधित एस.पी.सी.बी./प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पी.सी.सी.) और शहरी स्थानीय निकायों/नगरपालिकाओं (यू.एल.बी.) के साथ समझौता ज्ञापन किए। परियोजनाएं संबंधित यू.एल.बी. द्वारा निर्मित की जानी थीं। सी.पी.सी.बी. को 50 प्रतिशत तक और पूर्वोत्तर राज्यों तथा हिमाचल प्रदेश के मामले में 90 प्रतिशत तक राज्यों के साथ परियोजनाओं की लागत बांटनी थी। सी.पी.सी.बी. द्वारा निधियां एस.पी.सी.बी./पी.सी.बी. को जारी की जानी थीं जो पर्यवेक्षण और संबंधित यू.एल.बी. को आगे निधियां जारी करने को उत्तरदायी थे। एस.पी.सी.बी./पी.सी.सी. को इस अवधि के दौरान निष्पादित कार्यकलापों पर तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करनी थीं और सी.पी.सी.बी. को उन्हें आगे भेजना था। एस.पी.सी.बी./पी.सी.सी. से परियोजनाओं के अंतर्गत किए गए कार्य की समीक्षा करने के लिए यू.एस.बी., एस.पी.सी.बी./पी.सी.सी. तथा सी.पी.सी.बी. के सदस्यों से बनी एक निगरानी समिति के गठन की भी अपेक्षा की गई थी।

6.4.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

सी.पी.सी.बी. ने ₹ 14.80 करोड़ की राशि एस.पी.सी.बी. को जारी की और योजना के अंतर्गत ₹ 24.80 करोड़ (राज्यों के हिस्से सहित) का कुल व्यय किया गया था।

परियोजना के उद्देश्यों की प्राप्ति, निधि प्रबंधन और निगरानी पर लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर अनुवर्ती पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

6.4.2.1 आदर्श सुविधाएं चालू न करना

परियोजनाओं का उद्देश्य आदर्श सुविधाओं के निर्माण द्वारा एक समन्वित रीति में एम.एस.डब्ल्यू. नियमों के कार्यान्वयन का प्रदर्शन करना था जिन्हें आगे दोहराया जाना था। तथापि लेखापरीक्षा में यह देखा गया था कि जुलाई 2014 तक 10 चयनित राज्यों में से किसी में भी आदर्श सुविधाएं चालू नहीं की गई थीं परिणामस्वरूप परियोजना के उद्देश्य प्राप्त नहीं किए जा सके। प्रत्येक परियोजना के अंतर्गत आदर्श सुविधाओं की स्थापना की स्थिति तालिका-13 में दर्शाई गई है।

तालिका-13: जुलाई 2014 तक आदर्श सुविधाओं की स्थापना की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	शहर	एम.ओ.यू. में अन्य हितधारक	परियोजना की संस्वीकृति की तारीख	समापन की निर्धारित तारीख	संस्वीकृत लागत	सी.पी.सी.बी. द्वारा जारी निधियां	किया गया व्यय
1.	आंध्र प्रदेश						
	आंध्र प्रदेश सूर्यापेट	ए.पी.पी.सी.वी. ⁶⁴ / एस.एम. ⁶⁵	सितम्बर 2005	सितम्बर 2007	2.90	0.36	0.72
चरण-1 पूर्ण था। यद्यपि नगरपालिका ने वर्मी-कम्पोस्ट संयंत्र स्थापित किया था परन्तु भराव स्थल के विकास का कार्य आरम्भ नहीं किया गया था।							

⁶⁴ आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

⁶⁵ सूर्यापेट नगर परिषद

2.	अरुणाचल प्रदेश					
ईटानगर तथा नाहरलगुन	ए.पी.एस.पी. सी.वी. ⁶⁶ /ए. पी.यू.डी. ए. ⁶⁷	जनवरी 2006	जनवरी 2009	2.23	0.60	0.66
चरण-I आंशिक रूप से पूर्ण था। अपशिष्ट संसाधन संयंत्र की स्थापना करने और भराव स्थल के विकास से समन्वित कार्य आरम्भ नहीं किए गए थे। परियोजना बंद कर दी गई थी (जनवरी 2011)।						
3.	चण्डीगढ़					
चण्डीगढ़	सी.पी.सी.सी. . ⁶⁸ /एम.सी. सी. ⁶⁹	मार्च 2003	अप्रैल 2008	13.10	4.18	9.44
आदर्श सुविधा का आंशिक निर्माण किया गया था। निर्मित किए जाने वाले 80 सहज सफाई केन्द्रों में से केवल 35 का निर्माण किया गया था। यद्यपि भराव का विकास किया गया था परन्तु अपशिष्ट डम्पिंग आरम्भ नहीं हुआ था।						
4.	हिमाचल प्रदेश					
मण्डी	एच.पी.एस. पी.सी.वी. ⁷⁰ / एम.सी.एम. ⁷¹	सितम्बर 2005	सितम्बर 2008	1.09	0.98	1.10
परियोजना का चरण-I पूर्ण था, चरण-II आरम्भ नहीं किया जा सका।						
5.	महाराष्ट्र					
जालना	एम.पी.सी. बी. ⁷² /जे.एम. .सी. ⁷³	जनवरी 2006	जनवरी 2008	3.00	0.50	0.59
अपशिष्ट संसाधन संयंत्र स्थापित किया गया था परन्तु विद्युत तथा जल आपूर्ति का कोई प्रावधान नहीं था। भराव विकास का कार्य एक अन्य योजना यथा जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) के अंतर्गत आरम्भ किया गया था, तथापि उसके समापन की स्थिति उपलब्ध नहीं थी।						

⁶⁶ अरुणाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

⁶⁷ अरुणाचल प्रदेश नगर एजेंसी

⁶⁸ चण्डीगढ़ प्रदूषण नियंत्रण समिति

⁶⁹ नगर निगम, चण्डीगढ़

⁷⁰ हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

⁷¹ नगर परिषद्, मंडी

⁷² महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

⁷³ जालना नगर परिषद्

6.	नागालैंड						
	कोहिमा	एन.पी.सी. बी. ⁷⁴ /के.एम .सी. ⁷⁵	सितम्बर 2005	सितम्बर 2008	1.35	0.75	1.37
परियोजना का चरण-I पूर्ण था, तथापि भराव का विकास आरम्भ नहीं किया गया था। चरण-II का कार्य सम्पूर्ण ए.डी.बी. वित्तपोषित एक अन्य योजना के अंतर्गत आरम्भ किया गया था, तथापि उसकी स्थिति उपलब्ध नहीं थी।							
7.	सिक्किम						
	दक्षिण पूर्व जिले सिक्किम में कस्बों का कलस्टर	एस.एस.पी. सी.बी. ⁷⁶ /यू. डी. एण्ड एच.डी ⁷⁷	फरवरी 2006	फरवरी 2009	2.50	1.71	1.96
चरण-I पूर्ण नहीं था। चरण-II आरम्भ नहीं किया गया था। परियोजना बंद करने का सुझाव (फरवरी 2013) दिया गया था, आगे की कार्रवाई उपलब्ध नहीं थी।							
8.	तमिलनाडु						
	उडूमलपेट	टी.एन.पी. सी.बी. ⁷⁸ /यू. एम. ⁷⁹	दिसम्बर 2004	दिसम्बर 2006	1.50	0.70	1.6
अपशिष्ट संसाधन सुविधा प्रतिष्ठापित की गई थी तथापि अपशिष्ट पृथक्करण नहीं किया जा रहा था। भराव सुविधा विकसित नहीं की गई थी और एम.एस.डब्ल्यू प्रबंधन के लिए निगरानी दस्ता गठित नहीं किया गया था।							
9.	त्रिपुरा						
	अगरतल्ला	टी.एस.पी. सी.बी. ⁸⁰ /ए म.सी. ⁸¹	फरवरी 2006	फरवरी 2009	3.0	2.70	3.05
परियोजना का चरण-I आरम्भ किया गया था, तथापि डम्पर प्लेसर इस्टबिन तथा यांत्रिक रोड स्वीपर जैसी खरीदी गई मर्दे उपयोग नहीं की गई थीं। अपशिष्ट संसाधन संयंत्र स्थापित करने और भराव स्थल का विकास से संबंधित कार्य आरम्भ नहीं किए गए थे क्योंकि सी.पी.सी.बी. ने निधियों के प्रतिबंध के कारण परियोजना के चरण-II की सहायता नहीं की थी।							

⁷⁴ नागालैंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

⁷⁵ कोहिमा नगर परिषद्

⁷⁶ सिक्किम राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

⁷⁷ शहरी विकास एवं आवास विभाग, सिक्किम सरकार

⁷⁸ तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

⁷⁹ उडूमलपेट नगर पालिका

⁸⁰ त्रिपुरा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

⁸¹ अगरतल्ला नगर परिषद्

10.	पश्चिम बंगाल					
	उत्तरदमदम तथा न्यू बैरकपुर	डब्ल्यू.पी.सी .बी. ⁸² /के.ए म.डी.ए. ⁸³	मार्च 2003	मार्च 2009	5.05	2.33
चरण-I तथा II दोनों पूर्ण थे और आदर्श सुविधा का फरवरी 2009 में उद्घाटन किया गया था। तथापि स्थानीय लोगों द्वारा आंदोलन के कारण उद्घाटन बाद शीघ्र बंद किया गया था जिसमें संपूर्ण सुविधा नष्ट हो गई थी।						
किया गया कुल व्यय						24.80

उपर्युक्त तालिका को देखने से पाया कि आदर्श सुविधा केवल एक परियोजना में बनाई गई थी, तथापि स्थानीय विधन के कारण यह चालू नहीं की जा सकी। नौ परियोजनाओं में केवल आंशिक रूप से कार्य पूर्ण हुआ था। उनमें से सात परियोजनाओं में चरण-I पूर्ण था जबकि दो परियोजनाओं में चरण-I आंशिक रूप से पूर्ण था। यद्यपि केवल पांच परियोजनाओं में चरण-II आरम्भ किया गया था तथापि यह किसी भी परियोजना में पूर्ण नहीं हो सका।

6.4.2.2 परियोजनाओं की अपर्याप्त निगरानी

सी.पी.सी.बी. द्वारा किए गए एम.ओ.यू. के अनुसार राज्य पी.सी.बी. को उस अवधि के दौरान निष्पादित कार्यकलापों पर तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करनी थीं और उन्हें सी.पी.सी.बी. को भेजना था। राज्य पी.सी.बी. को परियोजनाओं के अंतर्गत किए गए कार्य की समीक्षा करने के लिए यू.एल.बी., एस.पी.सी.बी. तथा सी.पी.सी.बी. के सदस्यों से बनी एक निगरानी समिति (एम.सी.) का गठन किया जाना भी अपेक्षित था। तथापि एम.ओ.यू. में निगरानी की आवधिकता निर्धारित नहीं की गई थी। लेखापरीक्षा में परियोजनाओं के कार्यान्वयन के निगरानी में गलतियां पाई गईं जिन पर अनुवर्ती पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

(i) आंध्रप्रदेश

सी.पी.सी.बी. ने आंध्रप्रदेश पी.सी.बी. को ₹ 36.20 लाख की निधियाँ जारी की (सितम्बर 2005)। यद्यपि सूर्यपेट नगर परिषद (एस.एम.सी.) ने वर्मी कम्पोस्ट संयंत्र स्थापित किया था परन्तु भराव स्थल का विकास कार्य जुलाई 2014 तक आरम्भ नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि सी.पी.सी.बी. ने सूर्यपेट तथा मण्डी,

⁸² पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

⁸³ कोलकाता नगर विकास प्राधिकरण

हिमाचलप्रदेश में भराव सुविधा निर्माण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) तैयार करने के लिए राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड (एन.बी.सी.सी.) के साथ एक अनुबंध किया (फरवरी 2008) और ए.पी.पी.सी.बी. तथा एस.एम.सी. की सहमति प्राप्त किए बिना एन.बी.सी.सी. ने ₹ 10 लाख का अग्रिम जारी किया (सितम्बर 2008)। एन.बी.सी.सी. को लगभग छः वर्ष बीत जाने के बाद भी जुलाई 2014 तक कथित डी.पी.आर. प्रस्तुत नहीं की। परिणामस्वरूप ₹ 10 लाख की निधियां अवरूद्ध हो गईं और भराव विकास का कार्य रूक गया।

लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि कार्य की प्रगति की समीक्षा करने के लिए एम.सी. गठित नहीं की गई थी। यद्यपि परियोजना की संस्वीकृति अथवा सितम्बर 2007 में समाप्त हो गई परन्तु औपचारिक समय वृद्धि प्राप्त किए बिना यह जारी था। बाद में ए.पी.पी.सी.बी. ने सी.पी.सी.बी. को सूचित किया (अगस्त 2012) कि परियोजना अप्रैल 2008 से निष्क्रिय पड़ी थी।

सी.पी.सी.बी. ने बताया (जुलाई 2014) कि ए.पी.पी.सी.बी. ने एस.एम.सी. तथा सी.पी.सी.बी. के साथ एक बैठक (सितम्बर 2013) आयोजित की थी जिसमें यह निर्णय किया गया था कि एस.एम.सी. अंतिम स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद परियोजना पूरी करेगा। अंतिम रिपोर्ट जुलाई 2014 तक प्रतीक्षित थी। तथापि उत्तर चरण-II की स्थिति पर मौन था।

(ii) अरुणाचल प्रदेश

सी.पी.सी.बी. ने ए.पी.एस.पी.सी.बी. को ₹ 60 लाख की पहली किस्त जारी की (जनवरी 2006)। लेखापरीक्षा में पाया गया कि परियोजना का चरण-I भी केवल आंशिक रूप से पूर्ण था। सी.पी.सी.बी. द्वारा किए गए कार्यस्थल निरीक्षण (अप्रैल 2007) के दौरान यह पाया गया था कि परियोजना की प्रगति बहुत निराशाजनक थी और ए.पी.एस.पी.सी.बी. का समन्वय तथा पर्यवेक्षण कार्य गंभीर रूप से कमी वाला था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि सी.पी.सी.बी. ने परियोजना का आगे और कोई निरीक्षण नहीं किया था। परियोजना की समीक्षा करने के लिए गठित एम.सी. की भी परियोजना की संस्वीकृति के चार वर्षों से अधिक समय के बाद केवल नवम्बर 2010 में पहली बार बैठक हुई थी। एम.सी. की उक्त बैठक में यह सहमति बनी थी कि लागत वृद्धि तथा समय वृष्टि आदि जैसे सभी कारकों को ध्यान में रखकर परियोजना बंद की जानी चाहिए। यह भी पता चला था कि कम्पोस्ट संयंत्र पर ऐसी ही एक

परियोजना ईटानगर में जे.एन.एन.यू.आर. योजना में स्थापित की जा चुकी थी। परिणामस्वरूप, सी.पी.सी.बी. ने परियोजना रद्द कर दी (जनवरी 2011)।

सी.पी.सी.बी. ने बताया (जुलाई 2014) कि जून 2014 में अरुणाचल प्रदेश बोर्ड के साथ परियोजना की समीक्षा की गई थी और यह निर्णय लिया गया था कि यद्यपि सी.पी.सी.बी. परियोजना से अलग हो गया था। परन्तु, ए.पी.एस.पी.सी.बी. ईटानगर और नाहरलगुन में एम.एस.डब्ल्यू नियमों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा। तथ्य यह शेष रहा कि सी.पी.सी.बी. परियोजना की प्रभावी रूप से निगरानी करने में और परियोजना के अंतर्गत होने वाली घटनाओं की जानकारी रखने में विफल रहा जिससे सामयिक तथा अर्थपूर्ण हस्तक्षेप नहीं किए जा सकें।

(iii) चण्डीगढ़ यू.टी.

सी.पी.सी.बी. ने सी.पी.सी.सी को परियोजना के चरण-I के अंतर्गत ₹ 1.58 करोड़ (अप्रैल 2003, अप्रैल 2004 तथा अप्रैल 2007 में ₹ 52.56 लाख की तीन बराबर किश्तें) और चरण-II के अंतर्गत ₹ 2.60 करोड़ (अप्रैल 2007 तथा सितम्बर 2008 में ₹ 1.30 करोड़ की दो बराबर किश्तें) जारी किए। यद्यपि परियोजना का चरण-I मूल रूप में अक्टूबर 2004 तक पूर्ण किया जाना निर्धारित था परन्तु यह समय-समय पर मार्च 2007 तक बढ़ाया गया था। परियोजना का चरण-II अप्रैल 2008 में निर्धारित पूर्णता के साथ अप्रैल 2007 में आरम्भ किया गया था। तथापि यह समय पर पूर्ण नहीं हुआ था और औपचारिक समय वृद्धि बिना उसके बाद जारी था।



चण्डीगढ़ में भराव स्थल में स्थिर पानी

लेखापरीक्षा में पाया गया कि आदर्श सुविधा केवल आंशिक बनाई गई थी। निर्मित किए जाने वाले 80 सहज सफाई केन्द्रों में से केवल 35 बनाए गए थे। लेखापरीक्षा में आगे देखा गया कि निगरानी समिति द्वारा परियोजना की प्रगति पर अंतिम चर्चा जनवरी 2008 में की गई थी। बाद में सी.पी.सी.बी. ने सुविधा का स्थल निरीक्षण किया था (मार्च 2012) जिसमें यह पाया गया था कि यद्यपि भराव स्थल का विकास किया गया था परन्तु अपशिष्ट डम्पिंग अभी आरम्भ किया जाना था। ₹14.41 लाख का अव्ययित शेष भी जुलाई 2014 तक सी.पी.सी.बी. द्वारा वापस नहीं किया गया था।

सी.पी.सी.बी. ने बताया (जुलाई 2014) कि उन्होंने जून 2013 तथा मई 2014 में परियोजना की समीक्षा की थी और सी.पी.सी.सी. से परियोजना का दस्तावेजीकरण तैयार करने तथा एक माह के अंदर उसे प्रस्तुत करने के लिए कहा। सी.पी.सी.बी. ने यह भी बताया कि सी.पी.सी.सी. ₹65,000 दस्तावेजीकरण प्रभार काटने के बाद अव्ययित राशि लौटाने को सहमत हो गया। तथापि उत्तर आदर्श सुविधा के निर्माण और भराव के उपयोग करने की स्थिति पर मौन था।

(iv) हिमाचल प्रदेश

सी.पी.सी.बी. ने परियोजना के अंतर्गत ₹ 25 लाख (सितम्बर 2005), ₹ 37 लाख (जून 2007) तथा ₹ 35.87 लाख (अगस्त 2008) की तीन किश्तों में ₹ 97.87 लाख एच.पी.एस.पी.सी.बी. को जारी किए। परियोजना की संस्वीकृति अवधि सितम्बर 2008 तक थी परन्तु परियोजना जून 2010 तक बढ़ाई गई थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि परियोजना का चरण-I पूर्ण था (मार्च 2011) परन्तु चरण-II एन.बी.सी.सी. के साथ एम.ओ.यू. अंतिम न किए जाने के कारण आरम्भ नहीं किया जा सका जैसा कि उपर्युक्त (i) में चर्चा की गई है।

सी.पी.सी.बी. ने बताया (जुलाई 2014) कि चरण-II का एम.ओ.यू. हस्ताक्षर हो गया था और अपेक्षित पर्यावरणीय मंजूरी और सुविधा स्थापित करने की सहमति की प्राप्ति के बाद निधियों की संस्वीकृति पर विचार होगा। तथ्य यह शेष रहा कि परियोजना संस्वीकृति के लगभग नौ वर्ष बाद भी पूर्ण नहीं हुई थी।

(v) महाराष्ट्र

सी.पी.सी.बी. ने एम.पी.सी.बी. को ₹ 50 लाख की पहली किश्त जारी की (जनवरी 2006)। परियोजना मूल रूप में जनवरी 2008 तक पूर्ण किए जाने को निर्धारित थी परन्तु मार्च 2009 तक बढ़ाई गई थी। तथापि कार्य बढ़ाई गई अवधि के दौरान भी पूर्ण नहीं हुआ था और औपचारिक समय वृद्धि बिना जारी था। सी.पी.सी.बी., एम.पी.सी.बी. तथा जालना नगर परिषद ने स्थल का संयुक्त निरीक्षण किया (जून 2011) और पाया कि अपशिष्ट संसाधन संयंत्र पूर्ण था परन्तु विद्युत तथा जल आपूर्ति का कोई प्रावधान नहीं था। यद्यपि सी.पी.सी.बी. ने परियोजना की समीक्षा की (जून 2013 तथा मई 2014) परन्तु परियोजना में और कोई प्रगति नहीं हुई।

सी.पी.सी.बी. ने बताया (जुलाई 2014) कि भराव विकसित करने का कार्य जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना के अंतर्गत आरम्भ किया गया था। तथापि उसकी

स्थिति सूचित नहीं की गई थी। इस प्रकार सी.पी.सी.बी. परियोजना की प्रगति से अनभिज्ञ रहा।



जालना, महाराष्ट्र में अपशिष्ट संसाधन सुविधा

(vi) नागालैण्ड

सी.पी.सी.बी. ने ₹ 30 लाख (सितम्बर 2005) तथा ₹ 45 लाख (जुलाई 2006) की दो किश्तों में ₹ 75 लाख जारी किए। एन.पी.सी.बी. को नियमित आधार पर किए गए कार्य की समीक्षा के लिए सी.पी.सी.बी. से पहली किश्त की प्राप्ति पर तत्काल अध्यक्ष, एन.पी.सी.बी. की अध्यक्षता में निगरानी समिति गठित करनी थी। यद्यपि एन.पी.सी.बी. ने निगरानी समिति का गठन किया (अक्टूबर 2005) परन्तु यह पाया गया था कि समिति की कभी बैठक नहीं हुई। इसके अलावा परियोजना की संस्वीकृति अवधि सितम्बर 2008 में समाप्त हो गई परन्तु परियोजना पूर्ण नहीं हुई थी और किसी औपचारिक समय वृद्धि के बिना जारी थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि परियोजना का चरण-1 पूर्ण था तथापि भराव का विकास आरम्भ नहीं किया गया था क्योंकि परियोजना एशियाई विकास बैंक (ए.डी.बी.) द्वारा वित्त पोषण माध्यम से कार्यान्वित की जा रही एक अन्य एम.एस.डब्ल्यू परियोजना को हस्तांतरित की गई थी। लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि सी.पी.सी.बी. परियोजना के हस्तांतरण से अनभिज्ञ था। परियोजना में मूल हितधारकों में से एक होने पर यद्यपि सी.पी.सी.बी. निगरानी समिति का सदस्य था परन्तु उसने यह सुनिश्चित नहीं किया कि बैठकें आयोजित की गई थीं। परिणामस्वरूप सी.पी.सी.बी. परियोजना के अंतर्गत विकासों से स्वयं को अवगत रखने में विफल हो गया।

सी.पी.सी.बी. ने बताया (जुलाई 2014) कि परियोजना ए.डी.बी. वित्त पोषण के कारण समाप्त की गई थी। उत्तर ए.डी.बी. वित्तपोषित परियोजना की स्थिति पर मौन था।

(vii) सिक्किम

सी.पी.सी.बी. ने ₹ 60 लाख (फरवरी 2006) तथा ₹ 1.11 करोड़ (अप्रैल 2010) की दो किश्तों में ₹ 1.71 करोड़ जारी किए। तथापि परियोजना का चरण-1 भी पूर्ण नहीं हुआ था। सी.पी.सी.बी. को क्रमशः जनवरी 2010 तथा मई 2011 में जारी राशियों के यू.सी. प्राप्त हो गए।

शिलांग स्थित सी.पी.सी.बी. के आंचलिक कार्यालय को किए गए कार्य की प्रगति की निगरानी के लिए दो माह में एक बार क्षेत्र दौरा करना था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि अगस्त 2007 तथा फरवरी 2013 के बीच स्थल निरीक्षण केवल पांच बार किया गया था। किए गए स्थल निरीक्षण के दौरान (अप्रैल 2012 तथा फरवरी 2013) यह पाया गया था कि अपशिष्ट संसाधन एवं भूमि भराव सुविधा विकसित नहीं की गई। इसके अलावा परियोजना हेतु गठित एम.सी. की भी केवल फरवरी 2013 में एक बैठक हुई थी। बैठक में सुझाव दिया गया था कि केन्द्रीय निधियों की बर्बादी रोकने के लिए परियोजना तत्काल बंद कर दी जाए।

सी.पी.सी.बी. ने बताया (जुलाई 2014) कि समीक्षा बैठक मई 2014 में आयोजित की गई थी परन्तु सिक्किम बोर्ड ने उसमें भाग नहीं लिया। इस प्रकार जबकि परियोजना के उद्देश्य अपूर्ण रहे वहीं यू.सी. प्राप्ति के बावजूद सी.पी.सी.बी. अपने द्वारा प्रदत्त निधियों के वास्तविक उपयोग से अनभिज्ञ रहा। परियोजना की स्थिति भी जुलाई 2014 तक उपलब्ध नहीं थी।

(viii) तमिलनाडु

सी.पी.सी.बी. ने दिसम्बर 2004 तथा नवम्बर 2007 के बीच दो किश्तों में उदूमलपेट नगरपालिका (यू.एम.) को ₹ 70 लाख की निधियां जारी की। लेखापरीक्षा ने पाया कि पहली किश्त का उपयोग प्रमाणपत्र (यू.सी.) 18 माह के विलम्ब के बाद प्राप्त हुआ था। द्वितीय किश्त का यू.सी. यू.एम. द्वारा सी.पी.सी.बी. को भेजा नहीं गया था। परिणामस्वरूप, किए गए व्यय और अव्ययित शेष, यदि कोई हो, के ब्यौरे सी.पी.सी.बी. के पास उपलब्ध नहीं थे।

परियोजना की संस्वीकृति अवधि दिसम्बर 2006 में समाप्त हो गई, तथापि सी.पी.सी.बी. ने परियोजना अवधि सितम्बर 2008 तक बढ़ा दी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि परियोजना बढ़ाई गई अवधि में पूर्ण नहीं हुई थी और औपचारिक समय वृद्धि प्राप्त किए बिना उसके बाद जारी थी। बाद में टी.एन.पी.सी.बी. ने सूचित किया

(जून 2012) कि यद्यपि अपशिष्ट संसाधन सुविधा प्रतिष्ठापित की गई थी परन्तु अपशिष्ट पृथक्करण किया नहीं जा रहा था। भराव सुविधा भी विकसित नहीं की गई थी और एम.एस.डब्ल्यू. प्रबंधन के लिए निगरानी दस्ता भी गठित नहीं किया गया था। अतः परियोजना के उद्देश्य प्राप्त नहीं हुए थे।

टी.एन.पी.सी.बी. को नियमित आधार पर किए गए कार्य की प्रगति की समीक्षा करने के लिए सी.पी.सी.बी. से पहली किश्त की प्राप्ति पर तत्काल उसके अध्यक्ष की अध्यक्षता में निगरानी समिति का गठन किया जाना था। लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि निगरानी समिति का गठन नहीं किया गया था।

सी.पी.सी.बी. ने बताया (जुलाई 2014) कि उन्होंने परियोजना की समीक्षा के लिए जून 2013 तथा मई 2014 में टी.एन.पी.सी.बी. को आमंत्रित किया था परन्तु कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। उत्तर ने यह दर्शाया कि सी.पी.सी.बी. दो वर्षों से अधिक समय से परियोजना की स्थिति से अनभिज्ञ था। इस बीच सी.पी.सी.बी. ने भी परियोजना के अंतर्गत कार्यकलापों की स्थिति सुनिश्चित करने के लिए अपनी ओर से स्थल निरीक्षण नहीं किया।

(ix) त्रिपुरा

सी.पी.सी.बी. ने टी.एस.पी.सी.बी. को ₹60 लाख (फरवरी 2006), ₹1.05 करोड़ (अगस्त 2007) तथा ₹1.05 करोड़ (नवम्बर 2009) की तीन किश्तों में ₹2.70 करोड़ जारी किए। परियोजना की संस्वीकृति अवधि फरवरी 2009 में समाप्त हो गई। यह देखा गया कि परियोजना का चरण-I पूर्ण था। यद्यपि सी.पी.सी.बी. ने ₹9.13 करोड़ की कुल लागत पर परियोजना का चरण-II अनुमोदित किया था (दिसम्बर 2008), परन्तु निधि प्रतिबंधों के कारण चरण-II की इसने अंततः सहायता नहीं की थी। उस रूप में अपशिष्ट संसाधन संयंत्र स्थापित और भराव स्थल का विकास करने से संबंधित कार्य आरम्भ नहीं किए गए थे।

एम.ओ.यू. के अनुसार, शिलांग स्थित सी.पी.सी.बी. के आंचलिक कार्यालय को किए गए कार्य की प्रगति की निगरानी के लिए दो माह में एक बार क्षेत्र दौरा करना था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि सी.पी.सी.बी. ने केवल मार्च 2012 में परियोजना का निरीक्षण किया। यह भी पाया गया कि अगरतला नगर परिषद द्वारा खरीदी गई मर्दे जैसे डम्पर प्लेसर इस्टबिन तथा यांत्रिक सड़क स्वीपर उपयोग में नहीं लाई गई थीं।

सी.पी.सी.बी. ने बताया (जुलाई 2014) कि परियोजना की मई 2014 में समीक्षा की गई थी और यह निर्णय लिया गया था कि टी.एस.पी.सी.बी. परियोजना समापन रिपोर्ट तैयार करेगा और एक माह के अंदर सी.पी.सी.बी. को भेजेगा। उत्तर परियोजना के

चरण-I के अंतर्गत खरीदी गई मर्दों के उपयोग के लिए की जा रही कार्रवाई पर मौन था।



परित्यक्त पड़े डम्पर प्लेसर इस्टबिन



यांत्रिक सड़क स्वीपर

(X) पश्चिम बंगाल

सी.पी.सी.बी. ने परियोजना के चरण-I के अंतर्गत डब्ल्यू.पी.सी.बी. को ₹ 95.65 लाख (अप्रैल 2003 में ₹ 47.83 लाख, जून 2004 में ₹ 23.91 लाख और अगस्त 2005 में ₹ 23.91 लाख) और चरण-II के अंतर्गत ₹ 1.37 करोड़ (मार्च 2007 में ₹ 65 लाख और जुलाई 2008 में ₹ 72 लाख) जारी किए। आदर्श सुविधा फरवरी 2009 में पूर्ण हो गई थी।

परियोजना की प्रगति की निगरानी के अतिरिक्त निर्मित सुविधा के निष्पादन की डब्ल्यू.पी.सी.बी. तथा दोनों नगरपालिकाओं द्वारा एक निर्धारित समय अवधि में समीक्षा भी की जानी थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि चरण-I के समापन के बाद परियोजना की प्रगति की समीक्षा की गई थी (नवम्बर 2006)। तथापि चरण-II की प्रगति की समीक्षा करने के लिए केवल तीन वर्ष बाद (जून 2009) एम.सी. की अगली बैठक की गई थी। उक्त बैठक में यह सलाह दी गई थी कि परियोजना की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए हितधारकों को लगातार बैठकें करनी चाहिए। तथापि यह देखा गया था कि निगरानी की आगे कोई बैठक नहीं की गई थी। चरण-II के अंतर्गत उद्देश्यों में से एक जन चेतना के माध्यम से एम.एस.डब्ल्यू. प्रबंधन में जनता भागीदारी था। तथापि इस संबंध में किए गए कार्य की मात्रा लिखित में नहीं पाई गई थी।

पश्चिम बंगाल पी.सी.बी. ने सी.पी.सी.बी. को सूचित किया (जून 2012) कि यद्यपि आदर्श सुविधा स्थापित की गई थी और फरवरी 2009 में उद्घाटन किया गया था परन्तु स्थानीय लोगों द्वारा आंदोलन के कारण परियोजना उद्घाटन के शीघ्र बाद बंद

कर दी गई थी जिसमें सम्पूर्ण सुविधा नष्ट हो गई थी। परिणामस्वरूप परियोजना पर किया गया ₹ 4.31 करोड़ का सम्पूर्ण व्यय निरर्थक हो गया था।

सी.पी.सी.बी. ने बताया (जुलाई 2014) कि राज्य स्तर एम.सी. ने अप्रैल 2013 में परियोजना की समीक्षा की थी और परियोजना बंद करने का निर्णय किया गया और के.एम.डी.ए. की तकनीकी सहायता के अंतर्गत सामूहिक सुविधाएं बांटने के लिए दोनों नगरपालिकाओं को सलाह दी।

उत्तर इस संदर्भ में देखा जाए कि परियोजना के नष्ट हो जाने की सूचना के चार वर्षों से अधिक समय के बाद अप्रैल 2013 में परियोजना की समीक्षा व्यर्थ थी।

इस प्रकार परियोजनाओं की निगरानी कमजोर थी क्योंकि:

- दो परियोजनाओं (तमिलनाडु तथा आंध्रप्रदेश) में एम.सी. गठित नहीं की गई थी,
- आठ परियोजनाओं, जहाँ एम.सी. गठित की गई थी, में एम.सी. की बैठकें नियमित रूप से नहीं की गई थीं,
- सी.पी.सी.बी. द्वारा तीन परियोजनाओं (अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा तथा सिक्किम) में यथा अनुबद्ध स्थल निरीक्षण नहीं किए गए थे, और
- लेखापरीक्षा में उल्लेख किए जाने पर सी.पी.सी.बी. ने जून 2013 तथा मई 2014 में सम्बंधित पी.सी.बी. के साथ बैठकों का आयोजन किया।

यद्यपि सी.पी.सी.बी. योजना के समग्र कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी था और परियोजनाओं की निगरानी में भागीदार होना था परन्तु यह परियोजना का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सुदृढ़ निगरानी लागू करने में विफल रही। निगरानी में शिथिलता का परिणाम न केवल परियोजनाओं की स्थिति पर सूचना उपलब्ध कराने में अंतराल हुआ बल्कि अंततः 10 परियोजनाओं में से किसी में आदर्श अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा चालू नहीं हो सकी।


6.4.3 निष्कर्ष

सुविधाओं की स्थापना हेतु चयनित 10 राज्यों में से किसी में एम.एस.डब्ल्यू. आदर्श सुविधाएं परियोजनाओं के आरम्भ से 10 वर्षों से अधिक समय के बाद भी और ₹24.80 करोड़ का व्यय किए जाने के बाद भी चालू नहीं हुई थीं। पश्चिम बंगाल में केवल एक परियोजना के अंतर्गत आदर्श सुविधा का निर्माण किया गया था तथापि स्थानीय गड़बड़ियों के कारण यह चालू नहीं की जा सकी। नौ परियोजनाओं में कार्य केवल आंशिक रूप से पूर्ण हुआ था। उनमें से आंध्रप्रदेश, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, नागालैण्ड, सिक्किम, तमिलनाडु तथा त्रिपुरा की सात परियोजनाओं में चरण-1 पूर्ण हुआ था जबकि अरुणाचल प्रदेश तथा महाराष्ट्र की दो परियोजनाओं में चरण-1

आंशिक रूप से पूर्ण हुआ था। आंध्रप्रदेश, चण्डीगढ़, महाराष्ट्र, नागालैण्ड तथा तमिलनाडु की केवल पाँच परियोजनाओं में चरण-II आरम्भ किया गया था, तथापि यह किसी भी परियोजना में पूर्ण नहीं हुआ था।

परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी तथा निधियों के प्रबंधन में गलतियाँ हुई थीं। यद्यपि सी.पी.सी.बी. परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने के लिए स्थापित निगरानी तंत्र का एक भाग था परन्तु यह सुनिश्चित करने में विफल हो गया कि निगरानी समितियाँ गठित की गई थीं और नियमित बैठकें की गई थीं। राज्यों, जहाँ उसके लिए प्रावधान था, में सी.पी.सी.बी. द्वारा नियमित स्थल निरीक्षण नहीं किया गया था। परियोजनाओं के निगरानी करने की विफलता के परिणामस्वरूप अपूर्ण कार्य, परियोजनाओं की समय पूर्ण समाप्ति, निर्मित सुविधाओं की निष्क्रियता और परियोजनाओं के अंतर्गत निष्क्रिय रहे अव्ययित शेष हुए। परिणामस्वरूप एम.एस.डब्ल्यू. नियमों के प्रावधानों का पालन करने के लिए राज्यों तथा शहरी स्थानीय निकायों की सहायता करने के लिए योजना के अंतर्गत परिकल्पित उद्देश्य अप्राप्त रहे।


नई दिल्ली
दिनांक: 26 सितम्बर 2014



(गुरवीन सिद्धु)
प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा
वैज्ञानिक विभाग

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 30 सितम्बर 2014



(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

